इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 अगस्त 2019—श्रावण 25, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2019

क्र. एफ. 15-2-2019-सात-शाखा-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108(2) में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्रामों एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए उसके कॉलम (3) में वर्णित अधिकारी द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाये :—

अनुसूची

तहसील-रौन
जिला-भिण्ड

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का क्रमांक	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	1. मूल ग्राम-पचोखरा प. ह. नं. 17, 2. नवीन ग्राम-डमनापुरा	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2019

क्र. एफ. 15-2-2019-सात-शाखा-7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-02-2019-सात-शा. 7 दिनांक 8 अगस्त 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

Bhopal, date 8th August 2019

No. F. 15-2-2019-VII-Sec.7.—In exercise of the powers vested under Section 108(2) of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof :—

SCHEDULE

Tashil : Roan
District : Bhind

Serial No.	Name of village(s) with P. C. No.	Designation of the officer authorised to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
01.	1. Original Village-Pachokhara 2. New Village-Damnapura P.C.No. 17	Superintendent of Land Records, (Regular) District-Bhind.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MUJEEBUR RAHMAN KHAN, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2019

क्र. 2245-2019-सात-4.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, द्वारा राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिये अधिसूचना दिनांक 12 मई 2016, 6 जून 2016, 1 जुलाई 2016, 16 मार्च 2017 एवं 2 जून 2017 द्वारा तहसीलदार की शक्तियां प्रदान की गई थी. उक्त अधिसूचनाएं तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. खान, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2019

क्र. एफ 1(ए) 29-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री रियाज इकबाल, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला सतना को दिनांक 6 से 20 जून 2019 तक पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री रियाज इकबाल, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला सतना द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रियाज इकबाल, भा. पु. से. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, पुलिस अधीक्षक, जिला सतना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री रियाज इकबाल, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल से श्री रियाज इकबाल, भा. पु. से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रियाज इकबाल, भा. पु. से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2019

फा. क्र. 3895-2019-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की स्थापना पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने हेतु न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की सेवाएं, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है :—

क्र.	नाम	पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री रामकुमार चौबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार.	संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर.
2	श्री प्रियदर्शन शर्मा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब (एक).—**3250** (मेरिट क्रमांक **87**), राज्य शासन, **श्री अतुल यादव पुत्र श्री हरीसिंह यादव** को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2, (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला गुना (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 24 फरवरी, 1983 है.

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2019

फा. क्र. 3937-2019-इक्कीस ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री मोहित, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज), रीवा का त्याग-पत्र उनके आवेदन दिनांक 22 जुलाई 2019 से स्वीकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2019

क्र. एफ-11-02-2011-तीस.—राज्य शासन की राय में यह आवश्यक होने पर कि नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारकों, पुरातत्व स्थलों तथा अवशेषों को नष्ट होने, क्षतिग्रस्त होने परिवर्तित होने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करने की दृष्टि से मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट 2964 की धारा 3 की उपधारा (16) अनुसार स्मारक श्रीमंत यशवंत राव होलकर प्रथम (1799-1811 ई.) की छत्री एवं बाह्य परिसर में स्थित पुरानी छत्रियाँ एवं भवन को समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2 नवम्बर 2013 द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किया गया था.

(2) इस अधिसूचना की अनुसूची के कॉलम 6, 7 एवं 8 में संशोधन आवश्यक होने से पूर्व अधिसूचना के राजस्व क्षेत्र, क्षेत्रफल एवं स्वामित्व में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व का क्षेत्र जो संरक्षण के अधीन है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	मंदसौर	भानपुरा	भानपुरा	श्री यशंवत राव होल्कर प्रथम की छत्री एवं नजरबाग में स्थित भवन एवं छत्रियां.	569	0.279 हे.	आबादी म. प्र. शासन	569 में बगीचा नजरबाग
					570	0.081 हे.		570 में छत्री में जाने का रास्ता
					571	0.454 हे.		571 में श्री यशवंत राव होल्कर प्रथम की छत्री.
					572	0.283 हे.		572 में तोपखाना गणेश मंदिर छत्री एवं भवन (नजर बाग में स्थित).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमरेखा ढोले, अवर सचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2019

क्र. एफ-17-04-2019-ए-ग्यारह.—राज्य शासन द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जुलाई 2019 को निरस्त करते हुए एतद्द्वारा निर्णय लिया गया है कि लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क को आवंटित/लीज पर दिये गये भू-खण्डों हेतु लीज निष्पादन के संबंध में मध्यप्रदेश भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में भू-खण्डों हेतु अनुमोदित लीजडीड के प्रारूप में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

(1) पैरा एक में General Manager District Trade & Industries Centre/Managing Director, Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam के स्थान पर Executive Director, M. P. Industrial Develpoment Corporation Limited Regional Office.

(2) पैरा दो में प्रयेजन हेतु Logistic and Warehousing Hub/Park जोड़ा जाना.

(3) कण्डिका एक में आदेश दिनांक 1-4-2015 के पश्चात् Order Number F-16-16/2017/A-Eleven dated 22-6-2018.

(4) कण्डिका चार में provisionally and subject to the Govt. Orders जोड़ा जाना.

(5) कण्डिका पाँच में Industrial Plot/Land के स्थान पर Logistic and Warehousing Hub/Park एवं District Trade & Industries Centre/MP Audyogik Kendra Vikas Nigam के स्थान पर M. P. Industrial Development Corporation Limited Regional Office तथा General Manager/Managing Director के स्थान पर Executive Director.

(6) कण्डिका ग्यारह में Prevailing lease rent whichever is less जोड़ा जाना.

(7) कण्डिका पन्द्रह में any activity of the lessee which may cause or is causing inconvenience to nearby Industrial unit in proper functioning of their activities can be ground to concel the lease deed of lessee.

(8) कण्डिका सत्रह में . . . . The lessee shall not sublet, assign or otherwise transfer . . . . . के स्थान पर . . . . . The lessee may sublet built-up space erected there upon but shall not transfer . . . .

(9) कण्डिका चौबीस में उद्योग वर्गीकरण माइक्रो स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीयल यूनिट के प्रावधान विलोपित किये जाकर लार्ज एण्ड मीडियम इण्डस्ट्रीयल यूनिट के प्रावधान लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग प्रयोजन हेतु मान्य बावत् संशोधन किया जाना.

(10) कण्डिका इकत्तीस में आदेश दिनांक 1 अप्रैल 2015 के पश्चात् Order Number F-16-16/2017/A-Eleven dated 22-6-2018.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्रारंभिक अधिसूचना

होशंगाबाद, दिनांक 1 अगस्त 2019

प्र. क्र. 10-अ-82-2019-20-2083.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक तीस, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करते के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं (12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	इटारसी	मेहरागांव	5790 वर्गफुट	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी.	पवारखेड़ा स्टेशन से जुझारपुर स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.—पवारखेड़ा स्टेशन से जुझारपुर स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम मेहरागांव.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पत्र क्र. 1279-भू-अर्जन-2019.— राजगढ़, दिनांक 4 जुलाई 2019

(अंतगेत धारा – 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में सादलपुर क्र 02 जलाशय तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

सादलपुर क्र 02 जलाशय तहसील – जीरापुर

क्र	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है. मे)
	निजी भूमि सादलपुर क्र 02 जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	
1	ग्राम सादलपुर की भूमि	16.746
	योग	16.746

अनुसूची (2)

क्र	कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	लक्ष्मीनारायण प्रहलाद पिता मांगीलाल पारीबाई वि. मांगीलाल सरदारबाई पिता मांगीलाल अयोध्याबाई गुडडीबाई पिता किसन जाति दांगी	45, 47/2	0.065	0.065
2	कालूसिंह पिता कंवरलाल जसोदाबाई ललताबाई धापूबाई द्रोपताबाई पिता कंवरलाल बापू नारायण पिता किशनलाल जाति दांगी	46, 47/1	0.108	0.108
		96	0.012	0.012
		97	0.040	0.040
		99	0.133	0.100

क्र	कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
3	कालूसिंह पिता कंवरलाल जसोदाबाई ललताबाई धापूबाई द्रोपताबाई पिता कंवरलाल जाति दांगी	53/2	0.041	0.041
		56/3	0.061	0.061
		57/1	0.061	0.061
		57/2	0.076	0.076
		63/1/2	0.190	0.190
		63/2/1	0.113	0.113
		66/2	0.049	0.049
4	कालूसिंह पिता कंवरलाल जसोदाबाई ललताबाई धापूबाई द्रोपताबाई पिता कंवरलाल दरियावबाई छीताबाई पिता भोला बापूलाल नारायण पिता किसन जाति दांगी	65	1.186	0.320
		202	0.243	0.243
		212	2.003	0.580
5	कालूसिंह पिता कंवरलाल जसोदाबाई ललताबाई धापूबाई द्रोपताबाई पिता कंवरलाल बापू नारायण पिता किशनलाल जाति दांगी	228	0.454	0.454
		218	0.445	0.445
6	पूरसिंह पिता रामलाल जाति दांगी	48/1	0.031	0.031
		76/1	0.024	0.024
		83	0.061	0.061
7	बद्रीलाल पिता प्रभूलाल जाति दांगी	48/2	0.062	0.062
		50/1	0.064	0.064
8	देवीलाल कुशालसिंह पिता मांगीलाल जाति दांगी	49	0.085	0.085
		50/2	0.021	0.021
9	देवीलाल कुशालसिह पिता मांगीलाल सीताबाई बेवा मांगीलाल मदनलाल पिता काशीराम जाति दांगी	51/1	0.121	0.121
		52	0.036	0.036
		53/3	0.042	0.042
		56/4	0.050	0.050
		58/2	0.053	0.053
		60	0.049	0.049
		62/2	0.073	0.073
		63/2/2	0.049	0.049
10	गिरधारी पिता प्रभूलाल जाति दांगी	58/1	0.049	0.049
		59	0.057	0.057
		66/1	0.073	0.073

क्र	कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
11	बापूलाल पिता किशन जाति दांगी	53/1/1	0.041	0.041
		54/1	0.029	0.029
		55/3/1	0.065	0.065
		56/2/1	0.025	0.025
		63/1/1/1	0.047	0.047
		63/1/1/3	0.048	0.048
		219/1/1	0.041	0.041
12	नारायण पिता किशन जाति दांगी	53/1/2	0.042	0.042
		54/2	0.028	0.028
		55/3/2	0.065	0.065
		56/2/2	0.026	0.026
		63/1/1/2	0.047	0.047
		63/1/1/4	0.048	0.048
		219/1/2	0.040	0.040
13	फूलसिंह मानसिंह गिरधारी बद्रीलाल राधेश्याम पिता प्रभूलाल जाति दांगी	55/1	0.007	0.007
14	राधेश्याम कन्हैयालाल पिता पुरीलाल बंसन्तीबाई पिता पूरीलाल जाति दांगी	56/1	0.044	0.044
		62/1/1	0.100	0.100
15	ग्यारसीराम बद्रीलाल पूरसिंह पिता हरलाल भंवरीबाई सम्पतबाई पुत्रीया हरलाल गुलाबबाई बेवा मांग्या कालू पिता मांग्या मांगीलाल पिता भंवरिया जाति भील नि. भालता	61	0.065	0.065
		75	0.049	0.020
16	गोरधन सुल्तान पिता रतन जाति दांगी	62/1/2	0.021	0.021
17	रामप्रसाद पिता बापूलाल जाति दांगी	64/1	0.061	0.061
		67/1/1	0.075	0.075
		69/1/1	0.011	0.011
		73/2	0.105	0.105
		104/1	0.105	0.080
18	भंवरलाल पिता बापूलाल जाति दांगी	64/2	0.060	0.060
		67/1/2	0.076	0.076
		69/1/2	0.010	0.010
		104/2	0.105	0.080
		107,108	0.121	0.121

क्र	कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
19	प्रहलाद पिता पुरा जाति दांगी	67/2	0.075	0.075
		69/2	0.010	0.010
20	सुन्दरबाई बेवा शिवनारायण कुशालसिंह पिता शिवनारायण जाति दांगी	67/3	0.075	0.075
21	गोवर्धन पिता नारायण जाति दांगी	67/4	0.075	0.075
		69/4	0.011	0.011
22	नाथूलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी	68/1	0.029	0.029
		70/2	0.039	0.039
		103	0.077	0.020
23	नाथूलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी	219/2	0.077	0.077
24	नारायण पिता जगन्नाथ जाति दांगी	68/2	0.028	0.028
25	कमलसिंह पिता कंवरलाल रतनबाई वि. कंवरलाल बनेसिंह बापू पिता मानसिंह जाति दांगी	68/3	0.028	0.028
		70/1	0.074	0.074
26	नरसंग पिता पुरा जाति दांगी	69/3	0.011	0.011
27	रामबक्ष पिता नानूराम जाति दांगी	71	0.186	0.186
28	रामबगस पिता नानूराम जाति दांगी	79	0.166	0.166
29	रामप्रसाद पिता नारायण जाति दांगी	72/1	0.056	0.056
30	रामप्रसाद पिता नारायण जाति दांगी	72/2	0.057	0.057
		76/2	0.025	0.025
		77	0.077	0.077
		86/2	0.073	0.073
31	रामप्रसाद पिता मांगीलाल जाति दांगी	73/1	0.089	0.089
32	रामप्रसाद पिता मांगीलाल मोतीलाल नरसंगलाल पिता नाथू मथरीबाई पिता नाथू जाति दांगी	74	0.097	0.097
		78	0.121	0.121
		82	0.069	0.069
		85	0.109	0.109
		233	1.060	0.752
33	प्रभूलाल पिता नन्दा जाति दांगी	86/1/1	0.068	0.068
34	पुरीलाल पिता नन्दा जाति दांगी	86/1/2	0.034	0.034
35	कंचनबाई वि. अमरसिंह प्रहलाद राधेश्याम गीताबाई गुड्डीबाई सीताबाई पिता अमरसिंह जाति दांगी	87	0.101	0.101

क्र	कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
36	प्रहलाद राधेश्याम पिता अमरसिंह कंचनबाई वि. अमरसिंह गीताबाई गुड्डीबाई सीताबाई पिता अमरसिंह जाति दांगी	88/1	0.095	0.095
		203/3	0.077	0.077
		214/3	0.015	0.015
		221/4	0.065	0.065
		223/1	0.060	0.060
37	गीताबाई पति रामप्रसाद जाति दांगी	88/2	0.094	0.094
38	रोडूलाल मदन पिता भैरू जाति दांगी	88/3	0.047	0.047
39	रोडूलाल पिता भैरू जाति दांगी	192/2	0.073	0.035
		205	0.032	0.032
		209	0.275	0.275
40	शिवसिंह पिता बापूलाल जाति दांगी	88/4	0.047	0.047
41	गोरधन पिता मनोहरलाल जाति दांगी	89/1	0.176	0.176
		90	0.065	0.065
		94/3	0.049	0.049
42	मनोहरलाल हरिसिंह किशनलाल पिता धुरीलाल गीताबाई यशोदाबाई कमलबाई पिता धुरीलाल जाति दांगी	89/2	0.059	0.059
43	कंवरलाल मोतीलाल पिता देवीसिंह जाति दांगी	91/1	0.018	0.018
		190/1	0.251	0.220
		211/1	0.109	0.060
44	गंगाराम पिता कनीराम मोताबाई पिता कनीराम जाति दांगी	91/2	0.018	0.018
		190/2	0.251	0.220
45	नारायण पिता उदा मांगीबाई पिता उदा जाति दांगी	92,93	0.040	0.040
		192/1	0.069	0.050
		193	0.121	0.121
		207, 208	0.069	0.069
		210	0.166	0.166
		213	0.121	0.121
46	हीरालाल पिता रामलाल जाति दांगी	94/1	0.099	0.099
47	केसरसिंह पिता रामलाल जाति दांगी	94/2	0.050	0.050
48	हीरालाल मांगीलाल गोरीलाल पिता पुरीलाल दरयावबाई कृष्णाबाई पिता पुरीलाल जाति दांगी	98	0.069	0.069
49	मनोहरलाल पिता धुरीलाल जाति दांगी	105/1/1, 106/1/1	0.081	0.081

क्र	कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
50	रामबाबू पिता कन्हैयालाल रोडीबाई वि. कन्हैयालाल दुर्गाबाई सुमित्राबाई पिता कन्हैयालाल जाति दांगी	105/1/2 106/1/2	0.040	0.040
51	देवीलाल पिता मांगीलाल जाति दांगी	105/2/1 106/3/1	0.040	0.040
52	चम्पालाल पिता मांगीलाल जाति दांगी	105/2/2	0.040	0.040
53	रोडीलाल पिता पुरा जाति दांगी	109	0.105	0.105
54	नारायण पिता मोहनलाल जाति दांगी	110	0.069	0.020
55	रंगलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी	145	0.012	0.012
56	शिवलाल फूलसिंह श्रीलाल कंवरलाल पिता उदा देवीलाल पिता मेहताब मांग्या गुलाब पिता सवला राधेश्याम रामप्रसाद पिता जगन्नाथ जमनीबाई बैवा जगन्नाथ जाति दांगी	151	0.057	0.057
57	धुला पिता मेहताब जाति दांगी	170	0.081	0.081
58	बदनबाइ बैवा मांगीलाल जाति दांगी	171	0.081	0.081
59	रोडीलाल मांगीलाल कंवरलाल पिता रामलाल गुलाबबाई पिता रामलाल जाति दांगी	172	0.049	0.049
		176	0.049	0.049
60	उंकारलाल बजेसिंह पिता देवीसिंह जाति दांगी	173	0.316	0.316
		177	0.081	0.081
61	काशीराम पिता मेहताब जाति दांगी	174	0.113	0.113
62	फूलसिंह पिता प्रभूलाल जाति दांगी	175/1/1	0.028	0.028
63	शिवलाल पिता प्रभूलाल जाति दांगी	175/1/2	0.029	0.029
64	देवीलाल पिता मोहनलाल जाति दांगी	175/2	0.056	0.056
65	मदन पिता भैरू जाति दांगी	178/1/1	0.035	0.035
		178/1/2	0.034	0.034
		178/2/1	0.035	0.035
		178/2/2	0.034	0.034
66	बापू पिता किशन जाति दांगी	194/1	0.020	0.020
		196/1	0.010	0.010
67	मदन पिता किशन जाति दांगी	194/2	0.020	0.020
		196/2	0.010	0.010

क्र	कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
68	मदन पिता किशन जाति दांगी	220/2	0.027	0.027
		221/2	0.033	0.033
		203/2	0.039	0.039
		214/2	0.007	0.007
69	रामबगस पिता किशन जाति दांगी	194/3	0.020	0.020
		196/3	0.020	0.020
70	मांगीलाल पिता उंकार जाति दांगी	195	0.093	0.093
		199	0.040	0.040
71	मांगीलाल पिता पुरा धापूबाई रूपाबाई पिता पुरा रामसिंह पिता खुमानसिंह जाति दांगी	198, 200	0.170	0.170
72	भैरू पिता किशन जाति दांगी	203/1	0.038	0.038
		214/1	0.008	0.008
		220/1	0.026	0.026
		221/1	0.032	0.032
73	मांगीलाल पिता प्यारा सुडीबाइ पिता प्यारा जाति दांगी	203/4	0.077	0.077
		214/4	0.015	0.015
		220/3	0.052	0.052
		221/3	0.064	0.064
		223/4	0.060	0.060
74	नारायण पिता गोपी जाति दांगी	204	0.032	0.032
75	मोतीलाल पिता देवसिंह जाति दांगी	206	0.085	0.085
76	गोपी पिता घीसा जाति दांगी	215	1.481	1.481
		222	0.061	0.061
		224	0.089	0.089
		225	0.101	0.101
77	प्रभूलाल पिता सुखाराम जाति दांगी	217/1/1	0.155	0.030
78	मांगीलाल पिता गंगाराम जडावबाई बैवा गंगाराम जाति दांगी	217/1/2	0.155	0.030
79	कैलाश पिता गोपीलाल जाति दांगी	223/2	0.031	0.031
		223/3	0.031	0.031
		226	0.040	0.040
80	हजारीलाल पिता गुलाब जाति दांगी	229/2	0.312	0.107

क्र	कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
81	बद्रीलाल मदनलाल बाबरसिंह पिता काशीराम जाति दांगी	230	0.530	0.530
82	मोतीलाल पिता भेरू पानीबाई बैवा भेरू धूला जगन्नाथ कान्हा पिता रामा जाति चमार	231/1	0.213	0.213
83	कान्हा पिता रामा जाति चमार	231/2	0.212	0.212
84	ऊंकारलाल पिता देवसिंह जाति दाँगी पता सादलपुर	169/1	0.108	0.108
85	बजेसिंह पिता देवीसिंह जाति दाँगी पता सादलपुर	169/2	0.108	0.050
86	देवीलाल पिता मांगीलाल जाति दाँगी पता सादलपुर	169/3	0.108	0.030
87	देवीलाल चंपालाल पिता मांगीलाल जाति दाँगी पता निवासी ग्राम	166/3	0.027	0.027
88	मांगीलाल शिवलाल मोतीलाल पिता ऊंकार प्रेमसिंह पिता हीरालाल ग्यारसीबाई बेवा हीरालाल जाति दाँगी निवासी ग्राम	152/1	0.044	0.044
89	गंगाराम कुशलसिंह पिता पूरा केसरबाई वि पूरा जाति दाँगी पता निवासी ग्राम	152/2	0.045	0.045
90	मांगीलाल गोरधन पिता भंवरलाल जाति दाँगी पता निवासी ग्राम	142/1	0.022	0.022
91	नारायण आ मोहनलाल जाति दाँगी पता निवासी ग्राम	142/2	0.023	0.023
92	पुरीलाल पिता भंवरलाल जाति दाँगी पता निवासी ग्राम	232/1	0.265	0.265
93	कमलसिंह पिता कंवरलाल, रतनबाई वि. कंवरलाल, बनेसिंह बापू पिता मानसिंह जाति दाँगी पता निवासी ग्राम	232/2	0.044	0.044
94	नारायण पिता जगन्नाथ जाति दाँगी पता निवासी ग्राम	232/3	0.044	0.044
95	नाथुलाल पिता जगन्नाथ जाति दाँगी पता निवासी ग्राम	232/4	0.044	0.044
	कुल योग –		20.320	16.746

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरिक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 10 जुलाई 2019

(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी / भू-अर्जन अधिकारी कटनी जिला कटनी के रा0 प्रकरण क्रमांक/01/अ-82/भू.अ./2019-20 म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र0 एफ-16-15-(1)-2014-सात-शा. 2ए भोपाल दिनाक 29.09.2014 जो कि म0प्र0 राजपत्र दिनाक 03 अक्टूबर 2014 को प्रकाशित किया गया है के द्वारा जिले के कलेक्टरो को समुचित सरकार माना गया है तथा भू-अर्जन प्रकरणो में 10,000 हे0 (दस हजार हे0) से कम के प्रकरणो में जो सार्वजनिक प्रयोजन से संबंधित है, में निर्णय हेतु अधिकृत किया गया है।

भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश जो कि भारत का राजपत्र दिनाक 31 दिसम्बर 2014 को जारी किया गया है। अध्यादेश में नया अध्याय IIIA लागू किया गया है जिसके अंतर्गत धारा 10(A) के अनुसार समुचित सरकार (जो कि अधिनियम की धारा 3(e) के अनुसार राज्य शासन है।) को (**धारा 9 -सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन से छूट एवं अध्याय-तीन के अनुसार-: इस धारा के उपबंध ऐसी परियोजनाओं की दशा में, जो दीर्घकालीन प्रकृति की है, जैसे कि रेल,राजमार्गों, प्रमुख जिला सडकें, सिंचाई नहरें,विद्युत लाइनें, आदि, लागू नहीं होगें।**) उक्त के तहत् यह अधिकार दिया गया है कि वह उल्लेखित परियोजनाओ में भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानो से विमुक्त कर सकती है।

कटनी जिले में भारत सरकार के रेल मंत्रालय से स्वीकृत वृहद रेल परियोजना है जिसमें वृहद पुल निर्माण तथा उस पर रेल यातायात हेतु निर्माण कार्य जो देश व प्रदेश विकास, जनहित संबंधी है। अतः से अनुसूची में दर्शाये जा रहे प्रस्तावित प्रकरणो में भू-अर्जन कार्यवाही हेतु भारत सरकार द्वारा भू-अर्जन संबंधी जारी अध्यादेश दिनांक 31.12.14 एवं 03.04.15 एवं 09.11.2017 में दिये गये निर्देश एवं निहित व्यवस्था तथा राज्य शासन से अधिकृत क्षमता अनुसार प्रकरणो में भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किया जाता है।

अनुसूची

प्रकरण में अर्जन की जाने वाली निजी भूमि का विवरण इस प्रकार है -:

जिला का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	कुल प्रभावित खातेदारों की संख्या	कुल प्रभावित खसरा नंबर	अर्जन की जाने वाली निजी भूमि का कुल रकवा हेक्टेयर में	सार्वजनिक प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7
कटनी	कटनी (नगर)	मुडवारा प.ह.नं. 42	01	01	0.022	कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाईन के निर्माण हेतु
कटनी	कटनी	कैलवाराखुर्द प.ह.नं. 21	19	19	0.100	
कटनी	कटनी	पडरिया प.ह.नं. 31	98	98	3.980	
कटनी	कटनी	झलवारा प.ह.नं. 30	11	11	0.820	
कटनी	कटनी	हिरवारा प.ह.नं. 32	10	10	0.510	
कुल योग		05	139	139	5.432	

अनुसूची

प्रकरण में अर्जन की जाने वाली शासकीय भूमि का विवरण इस प्रकार है —:

जिला	तहसील	ग्राम	शासकीय भूमि के अर्जन का कुल रकवा हे0	सार्वजनिक प्रयोजन
कटनी	कटनी	हिरवारा प.ह.नं. 32 पड़रिया प.ह.नं. 31 झलवारा प.ह.नं. 30	0.220 0.770 7.360	कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाईन के निर्माण हेतु
कुल योग		03	8.350	

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू—अर्जन अधिकारी कटनी के कार्यालय मे किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशिभूषण सिंह, कलेक्टर एवं पदेन समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 27-अ-82-16-17-चिचण्डा-8503.— बैतूल, दिनांक 18 जुलाई 2019

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक —1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची—1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	चिचण्डा	0.046	उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	ईटारसी —नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची – 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क0	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे0 में	कुल अर्जित रकबा हें0 में
1	2	3	4	5
1	संतोषराव, मारोती व. चैत्याय, कमरजी बेवा चैत्या सा. देह	145/1 149/1 165/1	0.395 2.934 0.531	0.046
	योग			0.046

1– चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु पत्र जारी किए गए।

2– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3– कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4– समुचित सरकार की वेबसाइट **www. betul.nic.in** पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 09-अ-82-15-16-कुण्डई-8504.—

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची–(2)में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(क्रमांक30सन् 2013)की **धारा 19** के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:–

अनुसूची–(1)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे0 में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	मुलताई	कुण्डई	0.134	तीगांव –चिचोण्डा तीसरी रेल्वे लाईन

अनुसूची– (2)
(प्रभावति धारकों की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हे0 में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे0 में
1	2	3	4	5
1	इमलबाई जौजे सुन्दर पवार सा0 देह	257/2	0.992	0.035
2	भूता व0 नंदलाल, छितरी पिता नंदलाल, सरस्वती बेवा किसन, रामदास, देवीदास व0 किसन, सनावती पिता किसन मधु व0 नंदु, रंगा, गंगा, पिता नंदु सा0 देह	256/1	1.708	0.099
योग			2.700	0.134

(2) चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 25/26 जुलाई 2019

प्र. क्र. 60-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-17-18-8671-1

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) ग्राम **डभेरा** प0ह0क0-...49..... रा0नि0 वृत-...04... तहसील -**सवलगढ** उपखण्ड- **सवलगढ** जिला-**मुरैना** में कुल **2.737** हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- **डभेरा** प0ह0क0-...49..... रा0नि0 वृत-04 तहसील- **सवलगढ** उपखण्ड- **सवलगढ** जिला-**मुरैना** में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील **सवलगढ**
ग. ग्राम **डभेरा**
घ. लगभग क्षेत्रफल **2.737** हैक्टेयर
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7
1	25	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.020	0.003	कम्मोदा वेवा गोविन्दा जाति जाटव पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार भूमि विक्रय से वर्जित है
2	26	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.180	0.016	केशवसिंह पुत्र परसराम जाति ठाकुर पता नि0 सुनहरा भूमि स्वामी
3	27/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.030	0.014	महाराज सिंह पुत्र सुक्खू जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
4	27/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.030	0.015	भगवनलाल पुत्र सुक्खू जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
5	27/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.040	0.022	नरोत्तम पुत्र सुक्खू जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
6	27/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.040	0.028	जसराम पुत्र सुक्खू जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
7	27/5	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.040	0.039	दौजी पुत्र सुक्खू जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

8	28/5	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.080	0.055	दौजी पुत्र सुक्खू जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
9	29	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.360	0.088	सुखपालसिंह पुत्र नृपालसिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
10	30	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.140	0.011	मु0 शान्ति बेवा लक्खु सियाराम रामजीलाल पुत्र लक्खू लीला असरफी मीरा गुडिया पुत्रियां लक्खू जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
11	31/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.070	0.044	ल्होई बेवा मुरली जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
12	31/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.070	0.084	मु0 शान्ति बेवा लक्खु सियाराम रामजीलाल पुत्र लक्खू लीला असरफी मीरा गुडिया पुत्रियां लक्खू जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
13	33	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.170	0.112	नबलू बनवारी आ0 बलवन्त बैजन्ती पारवती पुत्रियां बलवन्त समान भाग 4/25 सोनी पुत्री धर्मजीत हि0 1/5 जीगन्दे बेवा घन्सू जसरथ उर्फ पप्पू आ0 घन्सू कस्तुरी पुत्री घन्सू स0 भाग 3/20 मुन्शी पप्पू नावा0 आ0 राजाराम भूमि स्वामी सरप0 पिता खुद समान भाग 1/5 भौदू पुत्र सुखदेव शान्ति वा0 गुड्डी नाबा0 पुत्र सुखदेव सरप अजुध्दी बेवा सुखदेव समान भाग 4/25 शकुन्तला बेवा हरीशचन्द्र बलवीर रनवीर राजेन्द्र नाबा0 पुत्र हरीशचन्द्र रामा नीलम नावा0 पुत्रिया हरीशचन्द्र स0 भाग 1/25 जाति काछी पता नि0 ग्राम सुरेश पुत्र ल्होरे भाग 9/100 जाति रावत पता निवासी चनौटा भूमि स्वामी
14	34	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.100	0.086	हफीज पिता सकूर भाग 19/95 कलिया हरयाना पुत्रियां सकूर स0 भाग 13/95 समसाद पिता सकूर भाग 63/95 जाति मुसलमान पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी
15	35	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.050	0.050	निसारूदीन पुत्र नबाब खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम भूमि स्वामी
16	36	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.280	0.280	हफीज पिता सकूर भाग 19/95 कलिया हरयाना पुत्रियां सकूर स0 भाग 13/95 समसाद पिता सकूर भाग

				13/95 समसाद पिता सकूर भाग 63/95 जाति मुसलमान पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी
17	42	0.150	0.062	शिवचरन मुन्ना कल्याण पुत्रगण नन्दू आशा पुत्री नन्दू समान भाग जाति जाटव पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी
18	43/1	0.080	0.080	निसारूउद्दीन पुत्र नबाब खॉ जाति मुसलमान पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी
19	43/2	0.070	0.044	निसारूउद्दीन पुत्र नबाब खॉ जाति मुसलमान पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी
20	44	0.150	0.109	निसारूउद्दीन पुत्र नबाब खॉ जाति मुसलमान पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी
21	45	0.060	0.060	संजय पुत्र भैरो लाल जाति ब्र. निवासी फतेचन्द कलोनी सवलबढ द्वारा सचिव कलादेवी शिक्षा समाज एवंज जन कल्याण एवं बहुउद्देशीय समिति सवलबढ जिला मुरैना भूमि स्वामी
22	46	0.150	0.150	बैबी पत्नि निसारूदीन जाति मुसलमान निवासी ग्राम डभैरा तहसील सबलगढ़
23	47/1	0.700	0.075	नवलू पुत्र बलवन्त भाग 29/70 भजनलाल बनवारी पुत्रगण बलवन्त हि0 21/70 बैजन्ती पार्वती पुत्रियां बलवन्त स0 भाग 20/70 जाति काछी पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी
24	47/2	0.760	0.004	कमलसिंह पुत्र पदमसिंह भाग 248/760 जगदीशसिंह पुत्र पदमसिंह भाग 263/760 जाति ठाकुर नि0 सुनहेरा कल्याण सिंह पुत्र रामचरण भाग 160/760 जाति रावत नि0 ग्राम थरा तह0 जौरा शिवचरण पुत्र भगवानलाल भाग 52/760 जाति त्यागी ब्रा0 नि0 लाडपुरा तह0 विजयपुर महावीर पुत्र रामदयाल भाग 37/760 जाति रावत पता नि0 झुण्डपुरा भूमि स्वामी
25	73/मिन 2	0.510	0.364	बदरे आलम पुत्र मोहम्मद अली हसन

						जाति मुसलमान पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी भूमि बिकय से बर्जित है
26	26/256	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.180	0.022	लालपति सियाराम सुग्रीव पुत्रगण झीगुरिया बसन्ती कुण्ठा पुत्रियां झीगुरिया पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
27	60/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.280	0.820	गोपाल नरेश सुरेश श्रीनिवास पुत्रगण फैलू जाति जाटव निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी शासकीय पटटेदार भूमि विकय से वर्जित है।
कुल (केस)	27			5.790	2.737	

1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू–अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :–धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू–अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 56-अ-82-भू-अर्जन-17-18-8671-2

(भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर–श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम–**तिन्दोली** प0ह0क0–54 रा0नि0 वृत–04 तहसील –**सवलगढ़** उपखण्ड– सवलगढ़ जिला–**मुरैना** में कुल **9.644** हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम– **तिन्दोली**, प0ह0क0–54 रा0नि0 वृत–04 तहसील– सवलगढ़ उपखण्ड– सवलगढ़ जिला–**मुरैना** में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील सवलगढ़
ग. ग्राम **तिन्दोली**
घ. लगभग क्षेत्रफल **9.644** हैक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:–

क्र. स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	68/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.350	0.258	रामप्रकाश पुत्र जगन्नाथ जाति त्यागी पता नि0 ग्रा0 सबलगढ भूमिस्वामी।
2	68/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.280	0.260	दिनेश पुत्र जगन्नाथ जाति त्यागी पता नि0 ग्रा0 सबलगढ भूमिस्वामी।
3	69	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.420	0.420	दिनेश पुत्र जगन्नाथ जाति त्यागी पता नि0 ग्रा0 सबलगढ भूमिस्वामी।
4	70	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.420	0.127	दिनेश पुत्र जगन्नाथ जाति त्यागी पता नि0 ग्रा0 सबलगढ भूमिस्वामी।
5	96/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.280	0.280	दिनेश पुत्र जगन्नाथ जाति त्यागी पता नि0 ग्रा0 सबलगढ भूमिस्वामी।
6	96/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.280	0.097	पतिराम पुत्र भागीरथ जाति त्यागी पता नि0 ग्राम सबलगढ भूमिस्वामी।
7	111/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.070	0.070	लक्ष्मीबाई प्रेमबाई गुड्डी बाई पूत्रीयां जगन्नाथ जाति त्यागी पता नि0 ग्राम

						सबलगढ भूमिस्वामी।
8	111/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.070	0.024	पतिराम पुत्र भागीरथ जाति त्यागी पता नि0 ग्राम सबलगढ भूमिस्वामी।
9	113	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.050	0.050	मु0 किशनो बेवा मांगीलाल रमेश श्रीराम रामस्वरूप पुत्रगण मांगीलाल प्रेम पुत्री मांगीलाल समान भाग हि0 5/6 गोरीशंकर लोकेन्द्र पुत्रगण रामस्वरूप समान भाग हि0 1/6 जाति त्यागी पता नि0 ग्राम सबलगढ़।
10	114	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.050	0.050	मु0 सिरमिती बेवा देवीसिंह रामप्रकाश रामकुमार नारायण पुत्रगण देवीसिंह राजेश्वरी पुत्री देवीसिंह समान भाग 3/28 रमेशचन्द्र पुत्र मांगीलाल भाग 25/28 जाति त्यागी पता नि0 सबलगढ़।
11	115	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.750	0.543	वासुदेव पुत्र गजाधर भाग 9/16 चम्पा बाई पत्नी गोपाल बलिराम पुत्र गजाधर मुन्नी कृष्णा प्रेमलता पुत्रीयां गजाधर मु0 भगवानकुअर बेवा गजाधर समान भाग 7/16 जाति नाई नि0 सबलगढ़।
12	141	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.790	0.521	अशोक वा0 नरेश नरोत्तम नावा0 पुत्रगण हरीसिंह कमला बा0 सीमा मीना नाबा0 पुत्रियां हरीसिंह सर0 मां खुद मु0 अजुध्दी बेवा हरिसिंह समान भाग जाति काछी नि0 सबलगढ़।
13	142	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.650	0.528	नारायण नरोत्तम पुत्रगण रम्मू लक्ष्मी पुत्री रम्मू जाति जाटव पता निवासी सबलगढ़।
14	144	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.220	0.189	मु0 किशनो बेवा मांगीलाल रमेश श्रीराम रामस्वरूप पुत्रगण मांगीलाल प्रेम पुत्री मांगीलाल समान भाग हि0 5/6 गोरीशंकर लोकेन्द्र पुत्रगण रामस्वरूप समान भाग हि0 1/6 जाति त्यागी पता नि0 ग्राम सबलगढ़।
15	145	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.230	0.107	मु0 सिरमिती बेवा देवीसिंह रामप्रकाश रामकुमार नारायण पुत्रगण देवीसिंह राजेश्वरी पुत्री देवीसिंह समान भाग 3/28 रमेशचन्द्र पुत्र मांगीलाल भाग 25/28 जाति त्यागी पता नि0 सबलगढ़।

16	153	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.230	0.198	गीतादेवी पत्नि सुरेन्द्र प्रसाद जाति त्यागी नि0 सगलगढ़।
17	154	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.220	0.192	रामभजन पुत्र बाबूलाल लक्ष्मीवाई नबलो सुखिया पुत्रीयां बाबूलाल समान भाग जाति त्यागी नि0 सबलगढ़।
18	155	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.660	0.494	मु0 श्रीमती बेबा गयालाल नरेन्द्र धमेंन्द विष्णू पुत्रगण गयालाल जाति त्यागी नि0 सबलगढ़।
19	160	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.340	0.011	मु0 कमलेश बेवा जगदीश प्रसाद गिरजा पुत्री जगदीश प्रसाद समान भाग 1/12 मुन्नी कला पुत्रियां बद्री प्रसाद समान भाग 1/6 अशोक पवन पुत्रगण मुल्ला मु0 जीगनदे बेवा मुल्ला लक्ष्मीबाई पुत्री मुल्ला समान भाग 1/6 मु0 पार्वती बेवा ग्यासिया भाग 1/12 बुधिया पुत्री छोटेपत्नी मुंशी भाग 1/6 श्रीया पुत्री छोटे भाग 1/12 मु0 बादामी बेबा रामचरण सोनपाल कमलेश जितेन्द्र पुत्रगण रामचरन शीला पुत्री रामचरण समान भाग 1/4 जाति काछी नि0 सबलगढ़।
20	164	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.420	0.337	बीरवल लक्ष्मीचंद्र पुत्रगण लल्लू समान भाग जाति कोरी नि0 सबलगढ़।
21	165	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.410	0.396	लीलादेवी पत्नि कैलाशनारायण रकवा 0.21 मातादीन पुत्र छोटेलाल रकबा 0.20 जाति कोरी नि0 सबलगढ़।
22	166	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.220	0.220	मु0 कमलेश बेवा जगदीश प्रसाद गिरजा पुत्री जगदीश प्रसाद समान भाग 1/12 मुन्नी कला पुत्रियां बद्री प्रसाद समान भाग 1/6 अशोक पवन पुत्रगण मुल्ला मु0 जीगनदे बेवा मुल्ला लक्ष्मीबाई पुत्री मुल्ला समान भाग 1/6 मु0 पार्वती बेवा ग्यासिया भाग 1/12 बुधिया पुत्री छोटेपत्नी मुंशी भाग 1/6 श्रीया पुत्री छोटे भाग 1/12 मु0 बादामी बेबा रामचरण सोनपाल कमलेश जितेन्द्र पुत्रगण रामचरन शीला पुत्री रामचरण समान भाग 1/4 जाति काछी नि0 सबलगढ़।

23	167	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.340	0.019	मंन्दिर श्री सीताराम जी का पुख्ता वाके किला सवलगढ़ देवस्थानी प्रबन्धक कलेक्टर मुरैना भूमि स्वामी भू राजस्व विलमुक्ता 19.12
24	168	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.330	0.025	मंन्दिर श्री सीताराम जी का पुख्ता वाके किला सवलगढ़ देवस्थानी प्रबन्धक कलेक्टर मुरैना भूमि स्वामी भू0रा0शा0 167
25	169	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.630	0.010	मंन्दिर श्री सीताराम जी का पुख्ता वाके किला सवलगढ़ देवस्थानी प्रबन्धक कलेक्टर मुरैना भूमि स्वामी भू0रा0शा0 167
26	170	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.510	0.488	मु0 कमलेश बेवा जगदीश प्रसाद गिरजा पुत्री जगदीश प्रसाद समान भाग 1/12 मुन्नी कला पुत्रियां बद्री प्रसाद समान भाग 1/6 अशोक पवन पुत्रगण मुल्ला मु0 जीगनदे बेवा मुल्ला लक्ष्मीबाई पुत्री मुल्ला समान भाग 1/6 मु0 पार्वती बेवा ग्यासिया भाग 1/12 बुधिया पुत्री छोटेपत्नी मुंशी भाग 1/6 श्रीया पुत्री छोटे भाग 1/12 मु0 बादामी बेबा रामचरण सोनपाल कमलेश जितेन्द्र पुत्रगण रामचरन शीला पुत्री रामचरण समान भाग 1/4 जाति काछी नि0 सबलगढ़।
27	171	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.320	0.320	दीनदयाल पुत्र लक्ष्मीनारायण भाग 46/109 श्रीमती सुनिता देवी पत्नी रामकिशोर श्रीमती रामदेवी पत्नि रमेशचन्द समान भाग 63/109 दरभाग 1/2 गिरिजा पत्नी ब्रहमानंद भाग 70/109 रामकिशोर पुत्र रमेशचन्द भाग 38/109 दर भाग 1/2 जाति ब्रा0 नि0 सवलगढ़।
28	172	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.550	0.550	दीनदयाल पुत्र लक्ष्मीनारायण भाग 46/109 श्रीमती सुनिता देवी पत्नी रामकिशोर श्रीमती रामदेवी पत्नि रमेशचन्द समान भाग 63/109 दरभाग 1/2 गिरिजा पत्नी ब्रहमानंद भाग 70/109 रामकिशोर पुत्र रमेशचन्द भाग 38/109 दर भाग 1/2 जाति ब्रा0 नि0 सवलगढ़।
29	173	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.650	0.209	दीनदयाल पुत्र लक्ष्मीनारायण भाग

						46/109 श्रीमती सुनिता देवी पत्नी रामकिशोर श्रीमती रामदेवी पत्नि रमेशचन्द समान भाग 63/109 दरभाग 1/2 गिरिजा पत्नी ब्रहमानंद भाग 70/109 रामकिशोर पुत्र रमेशचन्द भाग 38/109 दर भाग 1/2 जाति ब्रा0 नि0 सबलगढ़।
30	174	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.650	0.159	दीनदयाल पुत्र लक्ष्मीनारायण भाग 46/109 श्रीमती सुनिता देवी पत्नी रामकिशोर श्रीमती रामदेवी पत्नि रमेशचन्द समान भाग 63/109 दरभाग 1/2 गिरिजा पत्नी ब्रहमानंद भाग 70/109 रामकिशोर पुत्र रमेशचन्द भाग 38/109 दर भाग 1/2 जाति ब्रा0 नि0 सबलगढ़।
31	186	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.720	0.306	मु0 फुलबाई बेवा श्रीगोपाल पूरन अनिल पुत्रगण श्रीगोपाल परवीन ममता राधा पुत्रीयां श्रीगोपाल समान भाग 139/278 द्वारिकाप्रसाद शिवनंदन पुत्रगण गनपति समान भाग 139/278 जाति ब्रा0 नि0 सबलगढ़।
32	187	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.720	0.370	मु0 फुलबाई बेवा श्रीगोपाल पूरन अनिल पुत्रगण श्रीगोपाल परवीन ममता राधा पुत्रीयां श्रीगोपाल समान भाग 139/278 द्वारिकाप्रसाद शिवनंदन पुत्रगण गनपति समान भाग 139/278 जाति ब्रा0 नि0 सबलगढ़।
33	188	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.330	0.330	मु0 फुलबाई बेवा श्रीगोपाल पूरन अनिल पुत्रगण श्रीगोपाल परवीन ममता राधा पुत्रीयां श्रीगोपाल समान भाग जाति ब्रा0 नि0 सबलगढ़।
34	189	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.330	0.330	मु0 भागवती बाई बेवा ओमप्रकाश विनोद दिलीप हरिओम संतोष पुत्रगण ओमप्रकाश ललिता नीलम पुत्रियां ओमप्रकाश समान भाग 32/106 जाति नाई दिनेश उर्फ परशुराम पुत्र मुशीराम भाग 21/106 जाति काछी निवासी शिवलालपुराबाग मुरारी पुत्र फेलू भाग 53/106 जाति नाई नि0 सबलगढ़।
35	190	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.350	0.350	मु0 भागवती बाई बेवा ओमप्रकाश विनोद दिलीप हरिओम संतोष पुत्रगण ओमप्रकाश ललिता नीलम पुत्रियां

						ओमप्रकाश समान भाग 32/106 जाति नाई, दिनेश उर्फ परशुराम पुत्र मुंशीराम भाग 21/106 जाति काछी निवासी शिवलालपुराबाग मुरारी पुत्र फेलू भाग 53/106 जाति नाई नि0 सबलगढ़।
36	191	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.180	0.180	बाबूलाल छोटेलाल भरतलाल पुत्रगण गोविन्दा रामश्री रामदुलारी पुत्रियां गोविन्दा समान भाग 5/6 जाति काछी नि0 सबलगढ़ सुरेन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह भाग 2/5 जाति ठाकुर नि0 न्यू सब्जी मंडी के समाने सतीपुरम मुरैना व अमित कुमार पुत्र गिरिश वंसल भाग 3/5 दर भाग 1/6 जाति बैश्य नि0 न्यू कुशल नगर ग्वालियर।
37	192	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.170	0.082	बाबूलाल छोटेलाल भरतलाल पुत्रगण गोविन्दा रामश्री रामदुलारी पुत्रियां गोविन्दा समान भाग 5/6 जाति काछी नि0 सबलगढ़ सुरेन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह भाग 2/5 जाति ठाकुर नि0 न्यू सब्जी मंडी के समाने सतीपुरम मुरैना व अमित कुमार पुत्र गिरिश वंसल भाग 3/5 दर भाग 1/6 जाति बैश्य नि0 न्यू कुशल नगर ग्वालियर।
38	193	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.410	0.257	कल्लूराम पिता सन्नूराम जाति कोरी निवासी सबलगढ़।
39	194	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.440	0.275	मु0 फुलबाई बेबा श्रीगोपाल पूरन अनिल पुत्रगण श्रीगोपाल परवीन ममता राधा पुत्रीयां श्रीगोपाल समान भाग 139/278 द्वारिकाप्रसाद शिवनंदन पुत्रगण गनपति समान भाग 139/278 जाति ब्रा0 नि0 सबलगढ़।
40	200	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.670	0.012	द्वारिकाप्रसाद शिवनंदन पुत्रगण गनपतिलाल समान भाग जाति ब्राहम्ण नि0 सबलगढ़।
कुल किता 40				15.710	9.644 है0	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू–अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है।

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है।

4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :—धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू—अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाष में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

प्र. क्र. 58–अ–82–भू–अर्जन–2017–18–गुदायामांफी–8671–3

(भू–अर्जन, पुनर्वासन औ रपुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 {सहपठितभूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम—**गुदायामाफी**, प0ह0क0—...C1..... रा0नि0 वृत—...04... तहसील—**सबलगढ** उपखण्ड—**सबलगढ** जिला—**मुरैना** में कुल 0.094 हेक्टेयर भूमि अपेक्षितहै, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम—**गुदायामाफी** प0ह0क0—...C1..... रा0नि0 वृत—...04... तहसील—**सबलगढ** उपखण्ड—**सबलगढ** जिला—**मुरैना** में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना

ख. तहसील सबलगढ

ग. ग्राम गुदायामाफी

घ. लगभग क्षेत्रफल **0.094**हैक्टेयर

भूमि का विस्तृतब्यौरानिम्नलिखितहैः—

क्र. सं.	सर्वेनंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	140	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.480	0.003	शिवचरनलाल हि0 3/4 नारायणलाल हि0 1/4 पुत्रगणभ गवानलाल जाति किरार पता निवासी पासोनखुर्द भूमिस्वामी भू—राजस्व 8.19

2	153/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.080	0.031	रामचरनलालपुत्र मोतीजाति धाकड़ पता निवासी ग्रामनारायनपुरा भूमिस्वामी भू–राजस्व 1.85
3	153/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.070		सरवनपुत्र मोतीलालजाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू–राजस्व 1.60
4	153/3	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.010		शंकरलालपुत्र मोती जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू–राजस्व 0.23
5	153/4	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.020		शंकर रामचरन सरवन पुत्रगण मोती जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम नारायानपुरा भूमिस्वामीभू–राजस्व 0.45
						भू–राजस्व 0.45
6	154	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.330	0.016	शंकरलाल पुत्र मोती जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 7.62
7	156	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.580	0.044	नरेन्द्र कुमार पुत्र हरिचरन हि0 1/2 कृष्णकान्त हरिओम राजेश पुत्रगण नरेन्द्र कुमार समान भाग हि0 1/4 भु ओमश्री वेवा रविन्द्र चंन्दप्रकाश बा सत्यप्रकाश नाबा0 पुत्रगण रविंन्द्र रेनु बा पल्लवी मुस्कान नाबा पुत्रिया रविन्द्र सरप नरेन्द्र सभान भाग 1/4 जाति बैरागी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू–राजस्व 10.00
	कुल 07			1.570	0.094	

1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू–अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) **सवलगढ** के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :–धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू–अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 78-अ-82-भू-अर्जन-2017-18-8671/5

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) ग्राम-**कीरतपुर** प0ह0क0-.33... रा0नि0 वृत-..02 तहसील -**सवलगढ़** उपखण्ड- **सवलगढ़** जिला-**मुरैना** में कुल **0.777** हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- **कीरतपुर** प0ह0क0-.33.... रा0नि0 वृत-..02 तहसील- **सवलगढ़** उपखण्ड- **सवलगढ़** जिला-**मुरैना** में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील सवलगढ़
ग. ग्राम **कीरतपुर**
घ. लगभग क्षेत्रफल **0.777** हैक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	835	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.430	0.132	प्रभूदयाल पुत्र बलबन्त जाति किरार पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
2	838	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.280	0.039	आनन्दी बेवा काशीराम शिवसिंह नरेत्तम पुत्रगण काशीराम समान भाग हि0 3/4 कलाबंती बेवा भोगीराम हरीशचन्द पुत्र भोगीराम उर्मिला उर्फ गुड्डी पुत्री भोगीराम समान भाग हि0 1/4 जाति किरार पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
3	841	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.280	0.036	रघुनन्दन पुत्र सामन्त जाति किरार पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
4	842	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.360	0.066	आनन्दी बेवा काशीराम शिवसिंह नरेत्तम पुत्रगण काशीराम समान भाग हि0 3/4 कलाबंती बेवा भोगीराम हरीशचन्द पुत्र भोगीराम उर्मिला उर्फ गुड्डी पुत्री भोगीराम समान भाग हि0 1/4 जाति किरार पता

						नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
5	843	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.360	0.041	रघुनन्दन पुत्र सामन्त जाति किरार पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
6	883	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.870	0.016	देवीलाल केदार प्यारेलाल रामनिवास जगदीश अमरसिंह पुत्रगण भैरोलाल रामहेती पुत्री भैरोलाल समान भाग जाति किरार पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
7	884	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.080	0.033	मु0 कम्मोदा बेवा जनवेद पातीराम रामलखन प्रहलाद पुत्र जनवेद शकुन्तला शिमला पुत्रियां जनवेद समान भाग जाति किरार नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
8	885	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.050	0.011	मु0 रम्मो बेवा गोपी नरोत्तम हाकिम अशोक वा0 महेश नाबा0 पुत्रगण गोपी सर मां रम्मो खुद मीरा लच्छो पुत्रीयां गोपी समान भाग जाति बाढई पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
9	886	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.050	0.011	रघुवीर लाखन पुत्रगण रामचरण उम्मेदी दुल्लारी पुत्रीयां रामचरन मु0 कलावती बेवा रामचरन जाति बाढई नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
10	887	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.060	0.017	शंकर पिता मुल्ला जाति बाढई पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
11	888	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.260	0.020	पुरूषोत्तम पुत्र मदन हुकुमबाई पुत्री मदन समान भाग हि0 2/4 रमेश राजेन्दी मांगी सत्यभान पुत्रगण रामगोपाल हि0 1/5 राजकुमारी ल्होई रेखा पुत्रियां सिद्धनाथ समान भाग हि0 1/20 जाति बाढई नि0 ग्राम रामेश्वर जण्डेल पुत्रगण सूखा नर्मदा बेवा सूखा कम्पूरी सरोज पुत्रियां सूखा समान भाग हि0 1/4 जाति बाढई नि0 ग्राम भूमिस्वमी।
12	889	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.210	0.039	अतरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह हि0 1/4 विटोला बेवा शंकरसिंह हि0 1/4 हरनाम सिंह निर्भयसिंह पंचम सिंह पुत्रगण शिवसिंह समान भाग हि0 1/4 श्यामादेवी बेवा मंगलसिंह अमूपसिंह सुरेन्द्र सिंह विजेन्द्र सिंह पुत्रगण मंगलसिंह राजकिशोरी पुत्री मंगलसिंह समान भाग हि0 1/4 नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
13	890	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.210	0.028	विकमसिंह उदयवीर सिंह बिजेन्द्र सिंह पिता दुर्गसिंह लक्ष्मी पुत्री दुर्गसिंह कमला बेवा दुर्गसिंह जाति ठाकुर समान भाग नि0 ग्राम भूमिस्वामी।

14	891	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.320	0.039	हवलदार सिंह पिता कम्मोद सिंह जाति ठाकुर नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
15	896	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.500	0.064	हरिबल महिपति पुत्रगण मोतिलाल द्रोपति पुत्री मोतिलाल जाति किरार पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
16	897	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.210	0.004	रघुनन्दन पुत्र सामन्त जाति किरार पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
17	899	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.070	0.069	सोवरन सिंह पुत्रि बाबूसिंह जाति ठाकुर पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
18	900	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.110	0.039	भौरू बीरबल दाताराम पुत्र हीरालाल गुडडी पुत्री हीरालाल हि0 2/103 समान भाग लीला बेवा ओमप्रकाश विवके पुत्र ओमप्रकाश अंजू दीपा पुत्रियां ओमप्रकाश समान भाग हि0 17/206 सुरेश पुत्र भैरूलाल हि0 17/206 टीकाराम रतीराम शोभाराम हरिसिंह जीवनलाल महेन्द्र पुत्र शिवचरण समान भाग हि0 84/103 जाति किरार नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
19	906	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.920	0.073	भौरू बीरबल दाताराम पुत्र हीरालाल गुडडी पुत्री हीरालाल हि0 2/103 समान भाग। लीला बेवा ओमप्रकाश विवके पुत्र ओमप्रकाश अंजू दीपा पुत्रियां ओमप्रकाश समान भाग। हि0 17/206 सुरेश पुत्र भैरूलाल हि0 17/206 टीकाराम रतीराम शोभाराम हरिसिंह जीवनलाल महेन्द्र पुत्र शिवचरण समान भाग हि0 84/103 जाति किरार नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
कुल किता 19				5.630	0.777	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) मे उपबधित सम्यक जाच के पश्चात की गयी है।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है।

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है।

4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विषेष :-धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाष में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

प्र. क्र. 51-अ-82-भू-अर्जन-2017-18-देवपुरमांफी-8671/4

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 {सहपठित भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मेंउचितप्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-**देवपुरमाफी**, प0ह0क0-..55..... रा0नि0 वृत-..04..... तहसील-**सबलगढ** उपखण्ड-**सबलगढ** जिला-**मुरैना** में कुल 0.142 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम-**देवपुरमाफी** प0ह0क0-..55..... रा0नि0 वृत-..04... तहसील-**सबलगढ** उपखण्ड-सबलगढ जिला-**मुरैना** में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकताहै।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील सबलगढ
ग. ग्राम देवपुरमाफी
घ. लगभग क्षेत्रफल 0.142हैक्टेयर

भूमि का विस्तृतब्यौरानिम्नलिखितहै:-

क्र. सं.	सर्वेनंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7
1	41	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.080	0.061	शम्मीपुत्र कुददुहि 1/2 नाजिरपुत्र यासिन खांहि 1/2 जाति मुसलमान पता नि ग्राम भूमिस्वामी
2	42/मिन 1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.025	0.068	प्रकाशपुत्र राधेश्यामहि 797 बर्गफुट श्यामापुत्र दुल्लीहि 1000 बर्गफुट कमलेश बेबा शम्भू सोनू मोनू नाबा. पुत्र शम्भू सर मां स्वयं खुशब नाबा. पुत्री शम्भू सर. मां स्वयं समान भाग हि 1000 बर्ग फुट जाति नट पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
3	42/मिन 2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.197		सीमा देवी पत्नि मनोज कुमार जाति बैश्य नि सबलगढ रकबा 10010 बर्गफुट केदार केशव पुत्रगण किशनलाल हिर कबा 1200 वर्गफुट सुनील मातादीन पुत्रगण केदार हि रकबा 1200 वर्गफुट वैकुण्ठी पत्नि केदार जाति गौड हि रकबा 675 वर्ग फुट श्रीनिवास पुत्र रामचरण जाति प्रजापति रकबा 1187 बर्गफुट गजाधर नेकराम आदि रामभोगीराम रामसिंह पुत्रगण पन्नालाल

652

						जाति प्रजापति समान भाग हि रकबा 43[illegible] बर्गफुट क्राति देवी पत्नि जगनू माया पत्नि मुन्नानि रूनघान जागीर स.भा. हि रकबा 2603 वर्गफुट जाति प्रजापति
4	42/मिन 3	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.012		रमेशचन्द्रपुत्र मिश्री लाल जाति कुम्हार नि ग्राम भूमिस्वामी
5	42/मिन 4	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.046		श्री रामरामदी नहरिओम अशोक पुत्रगण रामकिशुन समान भाग जाति त्यागी पता नि ग्राम
6	42/मिन 5	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.024		रतिराम केशव अतिराज पुत्रगण मिश्री समान भाग जाति कुम्हार पता नि ग्राम भूमिस्वमी
7	42/मिन 6	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.037		रामचरण जगन्नाथ लखपति पुत्रगण अंगद हि 3/4 समान भाग दीनदयाल पुत्र बाला भारती पूजा पुत्री बाला हि 1/4 जाति कुम्हार
8	42/मिन 7	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.015		विघाराम रामगोविन्द पुत्रगण पूरनमल समान भाग जाति गौड पता निग्राम भूमिस्वामी
9	42/मिन 8	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.018		देवीलालपुत्र रघुआ जातिकुम्हार पता नि ग्राम भूमिस्वामी
10	42/मिन 9	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.013		रोशनलालपुत्र मिश्री जाति कुम्हार नि ग्राम भूमिस्वामी
11	42/मिन 10	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.012		परिमालपुत्र दौजी जीवनलाल पुत्र मोतीराम समान भाग जातिकुम्हार
12	43/मिन 1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.034	0.013	श्री पति पुत्र कुढेरी जाति प्रजापति निग्राम
13	43/मिन 2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.034		रामजीलाल पुत्र कुढेरी जाति प्रजापति निग्राम
14	43/मिन 3	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.034		प्रेमबेबा लालपति द्वारिका ओमप्रकाश हरिओम पुत्रगणलाल पति रूमाली पुत्री लालपति स.भा. हि रकबा 2695 वर्गफुट पाना पत्नि तातिया बैकुण्ठी पत्नि रामजीलाल जाति कुम्हार समान भाग हि रकबा 950
15	43/मिन 4	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.034		मु. पाना बेबा तातिया मटरे रामअवतार जितेन्द्र पुत्रगण तातिया सुनीता पुत्री तातिया स.भा. जाति प्रजापति नि ग्राम
16	43/मिन 5	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.034		भैरोलाल पुत्र भूरा जाति प्रजापति नि ग्राम
17	43/मिन 6	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.060		गुडडी पुत्री मठरू जाति नाई पता निग्राम
कुल	17			0.709	0.142	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू–अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है।

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है।

4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) **सबलगढ़** के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विषेष :–धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू–अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाष में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

प्र. क्र. 02–अ–82–भू–अर्जन–2018–19–8692–1 मुरैना, दिनाक 26 जुलाई 2019

(भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर–श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) ग्राम–जयपुर उर्फ नयागांव,प0ह0क0–89 रा0नि0 वृत–08 तहसील –बामौर उपखण्ड–बामौर जिला–मुरैना में कुल 2.196 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम– जयपुर उर्फ नयागांव प0ह0क0–89 रा0नि0 वृत–08 तहसील– बामौर उपखण्ड– बामौर जिला–मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील बामौर
ग. ग्राम जयपुर उर्फ नयागांव
घ. लगभग क्षेत्रफल 2.196 हैक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:–

क्र. स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	772	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.114	महिला श्रीमती कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह जाति गूजर ठाकुर पता बुददीसिंह का पुरा मजरा जयपुर उर्फ नयागांव भूमिस्वामी।
2	773	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.026	महिला श्रीमती कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह जाति गूजर ठाकुर पता बुददीसिंह का पुरा मजरा जयपुर उर्फ नयागांव भूमिस्वामी।
3	774	भूमिरवामी	कृषि भूमि	0.159	सत्यनारायण, दिलीपराम, सत्यभान, भूपेन्द्र पुत्र रामवरन सूरजबाई बेवा रामवरन ,पूजा, नेमोदेवी पुत्रियॉ रामवरन जाति राठौर नि0 थाना का पुरा स0 भा0 भूमिस्वामी।
4	775/1 1/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.380	सत्यनारायण, दिलीपराम, सत्यभान, भूपेन्द्र पुत्र रामवरन सूरजबाई बेवा रामवरन ,पूजा, नेमोदेवी पुत्रियॉ रामवरन जाति राठौर नि0 थाना का पुरा स0 भा0 भूमिस्वामी।
5	775/1 1/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		कुअरपाल रकवा 0.209 सन्तोषीलाल रकवा 0. 449 बच्चुसिंह रकवा 0.209 पुत्र रामजीत सिंह,

						रामजीत सिंह, रामजीत सिंह पुत्र दयाराम रकवा 0.627 जाति राठौर नि0 थाना का पुरा स0 भा0 भूमिस्वामी।
6	775/1/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.334		महिला श्रीमती कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह जाति गूजर ठाकुर पता बुददीसिंह का पुरा मजरा जयपुर उर्फ नयागांव भूमिस्वामी।
7	775/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.334		सत्यनारायण, दिलीपराम, सत्यभान, भूपेन्द्र पुत्र रामवरन सूरजबाई बेवा रामवरन पूजा, नेमोदेवी पुत्रियाँ रामवरन जाति राठौर नि0 थाना का पुरा स0 भा0 भूमिस्वामी।
8	778	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	5.768	0.450	महिला श्रीमती कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह जाति गूजर ठाकुर पता बुददीसिंह का पुरा मजरा जयपुर उर्फ नयागांव भूमिस्वामी।
9	780/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.648	0.115	पूरनसिंह ,रानवीरसिंह ,गब्बरसिंह ,चौबेसिंह पुत्रगण मनीराम 1/8 जाति गुर्जर भूमिस्वामी बनवारी राजकिशोर पुत्र नवलसिंह राजकुमारी पुत्री नवलसिंह मु भागवती वेवा नवलसिंह स भाग रकवा 0.099 मु कलिया वेबा भूखन राकेश नाबा पुत्र भूखन सर मां खुद स भाग रकवा 0.025 गोपी पुत्र रामसिंह रकवा 0.125 कमलाबाई पुत्री रामसिंह रकवा 0.079 मोतीराम सुघरसिंह पुत्र हरगोविन्द रतनसिंह मोहनसिंह पुत्र हरगोविन्द स भाग 7/32 रामचन्द पुत्र खेमा हि 9/64 में से रकवा 0.031 सियाराम पुत्र प्रीतम प्रीतम पुत्र लालाराम हि 1/16 लौहरे पुत्र हसा हि0 7/32 बाबू पातिराम पंचम भूरा पुत्र बालेराम गोदावरी वेबा बालेराम स0भा0 रकवा 0.132 जाति रावत विजय कुमार पुत्र चिम्मनलाल जाति जैन नि खेडापति कालोनी रकवा 0.105 भरोषी पुत्र रामदयाल रकवा 0.108 रामभजन सिंह पुत्र रामवरन सिंह रकवा 0.011 है नि गणपति विहार धनिराम पुत्र परिमाल जाति रावत रकवा 0.020 निवासी वुद्धी का पुरा भूमिस्वामी
10	780/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.923		भारतसिंह द्वारिका पुत्रगण शोभाराम जाति मु0 शंकरदे वेवा शेभाराम समान भाग रकवा 1.083 तोतराम पुत्र शोभाराम हि0 रकवा 0.141 दालाराम सीताराम पुत्रगण गोदीपाल दयाराम नेकरामसिंह पुत्रगण मोहरमनसिंह सत्यवीरसिंह पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गुर्जर ठाकुर पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी समान भाग रकबा 0.219 दर भाग 3/4 भूमिस्वामी सरदारसिंह रामेश्वर औतार पुत्रगण चन्दनसिंह साजनदे वेवा चन्दनसिंह त्रिवेणी, सिरमती ,शान्ती भूरी पुत्रियां

					चन्दनसिंह 1/8 समान रामवरन पुत्र महाराजसिंह रामरती पुत्री महाराजसिंह जाति गुर्जर ठाकुर पता नि0 बुद्वीका पुरा 1/8 भाग भूमिस्वामी समान भाग 1/8 जाति गुर्जर ठाकुर
11	780/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		विजयसिंह पुत्र हाकिमसिंह जाति गु0 टा0 पता निवासी जरारा भूमिस्वामी भू0रा0शा0 बिलमुक्ता 4.00
12	780/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		महिला श्रीमती कमलासिंह पुत्री उत्तमसिंह जाति गुर्जर ठाकुर पता बुद्वीसिंह का पूरा मजरा जयपुर उर्फ नयागांव भूमिस्वामी भू0रा0शा0 772
13	802/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		मु0 निर्मलादेवी पत्नी सोवरनसिंह रकबा 0.721 पातीराम पंचम भूरा पिता बाले रकबा 0.533 जाति रावत नि0 बुद्वीसिंह का पूरा जाति रावत भूमिस्वामी भू–राजस्व 13.12
14	802/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		पतिराम भूपसिंह पिता बालेराम 1.233 है0 रामवरन पु0 महाराजसिंह रकवा 0.287 रामवती पुत्री महाराजसिंह 0.287 सरदारसिंह,औत्तारसिंह पुत्रगण चंदनसिंह मु0 जीगंनदे वेवा चंदनसिंह त्रिवेणी सिरमिति शान्ती भूरी पत्नी चंदनसिंह 0.503 समान भूमिस्वामी मु शीला देवा वेवा रामेश्वर वीरेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर रेखा पुत्री रामेश्वर समान भाग 0.071 ,पंचमसिंह भूरा पुत्र बालेराम रकबा 0.523 जाति रावत पता निवासी बुद्वी का पुरा निर्मला पत्नि सोवरनसिंह 0.563 कोम रावत नि0 निरावली
15	802/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.619	रामचन्द पुत्र खेमराज हि0 1/3 रूमाली देवी वेवा पन्नालाल अनूप जयसिंह पुत्र पन्नालाल जाति रावत 0.034 ,मुन्नालाल पुत्र हजारीलाल रकवा 0.034 मु रामश्री वेवा हजारीलाल रकवा 0.034 कौशल्या सुमिता सुखनिया पुत्री हजारीलाल रकवा 0.104 दर भाग 1/6 संजू नावा सर मॉ खुद गुडडी वेवा मुन्नालाल रकवा 0.115 पप्पू जीवाराम कल्लू नावा सर मा खुद कलावती पत्नी सियाराम स भाग रकवा 0.115 रामभरोषी पुत्र रामदयाल रकवा 0.073 दर भाग 1/4 मोतीराम सुघरसिंह रतनसिंह मोहनसिंह हरगोविन्द मु रामकली वेवा हुकमसिंह राजलाला जीतू नावा सर मॉ खुद पुत्रगण हुकमसिंह स0भा0 हिस्सा 1/4 जाति रावत भूमिस्वामी भू राजस्व 12.00

16	804	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.017	सरदार सिंह पुत्र चन्दन सिंह रकबा 0.006 त्रिवेणी भूरी सिरिमिती पुत्रियां चन्दन सिंह समान भाग रकबा 0.026 अवतार सिंह पुत्र चन्दन सिंह रकबा 0.048 मु0 साजन देवी वेवा चन्दन सिंह हि0 रकबा 0.048 जाति गुर्जर दाताराम सिंह पुत्र गादीपाल नेकराम पुत्र मोहरमन सिंह समान भाग 1/2 दयाराम पुत्र मोहरमन सिंह भाग 1/2 रकबा 0.209 पता निवासी बुद्दी का पुरा भूमिस्वामी मु0 शीला देवी वेवा रामेश्वर सिंह वीरेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह वीरेन्द्र सिंह रामेश्वर सिंह रेखा पुत्री रामेश्वर सिंह समान भाग 0.048 जाति गुर्जर पता नि0 बुद्दी का पुरा भुमिस्वामी
17	805	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.088	सरदार सिंह अवतार सिंह पुत्रगण चन्दन सिंह मु0 साजन देवी वेवा चन्दन सिंह त्रिवेणी शान्ती भूरी सिरिमिती पुत्रियां चन्दन सिंह हि0 7/8 मु0 शीला देवी वेवा रामेश्वर सिंह वीरेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह रेखा पुत्री रामेश्वर सिंह समान भाग हि0 1/8 जाति गुर्जर पता नि0 बुद्दी का पुरा भुमिस्वामी
18	963	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.014	श्रीमती निर्मलादेवी पत्नी सोवरनसिंह जाति रावत पता नि0 निरावली तह0 ग्वा0 भूमिस्वामी भू–राजस्व 1.30
19	965/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.214	श्रीमती निर्मलादेवी पत्नी सोवरनसिंह जाति रावत पता नि0 निरावली तह0 ग्वा0 भूमिस्वामी
20	965/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		श्रीमती निर्मलादेवी पत्नी सोवरनसिंह जाति रावत पता नि0 निरावली तह0 ग्वा0 भूमिस्वामी भू0रा0शा0 964 मि0 1
कुल				2.196	

1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू–अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विषेष :–धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू–अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाष में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

प्र. क्र. 06-अ-82-भू-अर्जन-2018-19-8692-2

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-पहाडी प0ह0क0-.89 रा0नि0 वृत-.08 तहसील -बामौर उपखण्ड- बामौर जिला-मुरैना में कुल 0.155 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- पहाडी प0ह0क0-.89 रा0नि0 वृत- 08 तहसील- बामौर उपखण्ड- बामौर जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील बामौर
ग. ग्राम पहाड़ी
घ. लगभग क्षेत्रफल 0.155 हैक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वेनंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7
1	2173	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.020	0.012	रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पिता जण्डेलसिंह सरोज गीता मधू पुत्री जण्डेल सिंह मु भूरी बेवा जण्डेजसिंह 1/6 समान केदार रघुनाथ रामानिवास मानसिंह विन्टन मुकेश दिलीप पुत्रगण छोटा मु कमला बेवा छोटा सुनीता ममता पुत्रीयां छोटा 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पिता रामजीवन समान भाग 1/6 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ओंकार पु आदिराम मंजू कौमेश रचना पु आदिराम समान 1/6 भाग भूमिस्वामी
2	2182	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.180	0.0143	मठ श्री महादेव जी का पुख्ता माफी औकाफ डिपा. प्रबंधक कलेक्टर मुरैना भूमिस्वामी

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :-धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

प्र. क्र. 08-अ-82-भू-अर्जन-2018-19-8692-3

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-**जैतपुर नूराबाद** प0ह0क0-.89 रा0नि0 वृत-.08 तहसील -**बामौर** उपखण्ड- बामौर जिला-**मुरैना** में कुल 0.200 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- **जैतपुर नूराबाद** प0ह0क0-.89 रा0नि0 वृत- 08 तहसील- बामौर उपखण्ड- बामौर जिला-**मुरैना** में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील बामौर
ग. ग्राम **जैतपुर नूराबाद**
घ. लगभग क्षेत्रफल **0.200** हैक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. स.	सर्वेनंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7
1	274/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.105	0.019	प्रीतम विशाल ऊंकार पि. गोपाल मु0 रेवती वेबा गोपाल समान भाग जाति गडरिया पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
2	274/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.105		मुन्शीसिंह रामप्रसाद रामेश्वर पिता होतमसिंह हि0 3/4 रामविलाश गव्वर राजेन्द्र वीरेन्द्र पिता रामअख्यार, मु0 विच्चो वेबा रामअख्यार सुनीता पुत्री रामअख्यार हि0 1/4 पता जैतपुर नूरावाद भूमिस्वामी।
3	274/3	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.261		नारायण सिंह पुत्र हीरासिंह हि0 1/2 राकेश बलवीर सिंह पुत्र भीखम सिंह हि0 1/2 स0 भा0 जाति गू0ठा0 पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
4	275/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.094	0.024	जानकी प्रसाद छोटेलाल जाति

						गडरिया पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी भू–राजस्व 0.84
5	275/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.094	0.052	कन्हईया दशरथ साहबसिंह कदमा सरदार पुत्रगण होतमसिंह 5/6 कन्हई दशरथ साहबसिंह कदमसिंह सरदारसिंह पुत्रगण होतमसिंह शीला पुत्री होतमसिंह समान भाग हि0 1/6 दर भाग 1/2 कन्हईया पुत्र होतमसिंह हि 1/2 जाति गडरिया
6	275/3	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.178	0.080	हाकिम पुत्र गोधना रामबेटी शीला पुत्रियां गोधना समान भाग 1/2 नारायनसिंह बाबू पिता बन्शी भग्गो लाडो पुत्रीयांन बन्शी 4/5 मु0 प्रेमा बेबा रमेश कल्लू पुत्र रमेश 1/5 दर हि0 1/2 जाति गडरिया पता निवासी ग्राम भू–राजस्व 1.67
7	277	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.303	0.025	कुअरपाल,केशव,रामाचित्र,राजेन्द्र,आशारम बलराम पिता प्रभू माया भूरी पुत्री प्रभू जाति बघेल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
कुल	07			1.140	0.200	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू–अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नही है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :–धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू–अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अनुभाग, मऊगंज, जिला रीवा, मध्यप्रदेश

क्र. 39-भू-अर्जन-कार्य-2019 मऊगंज, दिनांक 26 जुलाई 2019

प्ररूप--घ
(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपायोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1944 भू–अर्जन कार्य/2018/25–07–18 दिनांक 21.09.2018 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से रीवा ग्राम अटारी–574 तहसील मनगवा जिला रीवा से ग्राम मलैगवा तहसील मऊगंज जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.09.2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग कर अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला तहसील	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोक्ता के अधिकार के लिए भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
रीवा	मनगवां	अटारी–574 49 रघुराजगढ़	359	0.098
			548	0.032
			549	0.038

क्र. 40-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्ररूप–घ
(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपायोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1942 भू–अर्जन कार्य/2018/25–07–18 दिनांक 21.09.2018 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से रीवा ग्राम अटारी–574 तहसील मनगवा जिला रीवा से ग्राम मलैगवा तहसील मऊगंज जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.09.2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग कर अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला तहसील	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोक्ता के अधिकार के लिए भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
रीवा	मनगवां	छिरहाई–197 49 रघुराजगढ़	71	0.002
			72/2	0.012
			73	0.024

क्र. 41-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्ररूप–घ
(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपायोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1946 भू–अर्जन कार्य/2018/25–07–18 दिनांक 21.09.2018 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से रीवा ग्राम अटारी–574 तहसील मनगवा जिला रीवा से ग्राम मलैगवा तहसील मऊगंज जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.09.2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग कर अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला तहसील	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोक्ता के अधिकार के लिए भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1. रीवा	मनगवां	धवैया–290 49 रघुराजगढ़	390/1	0.004
2.			424/1	0.020
3.			423/2	0.030
4.			423/7	0.030
5.			426/3	0.010
6.			428	0.038
7.			472	0.016
8.			473	0.009
9.			468	0.010
10.			466	0.002
11.			477	0.010
12.			478	0.005
13.			480	0.020

14.			508	0.012
15.			514/1	0.012
16.			513/1	0.019
17.			540/1	0.016
18.			540/2	0.016
19.			568	0.004
20.			567	0.020
21.			565	0.006
22.			564	0.006
23.			563	0.008
24.			574	0.016
25.			575/1	0.025
26.			596/1	0.015
27.			602/1	0.006
28.			602/2	0.006
29.			606	0.038
30.			615	0.019
31.			618	0.040
32.			617	0.010
33.			616	0.006

क्र. 42-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्ररूप–घ
(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपायोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1941 भू–अर्जन कार्य/2018/25–07–18 दिनांक 21.09.2018 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से रीवा ग्राम अटारी–574 तहसील मनगवा जिला रीवा से ग्राम मलैगवा तहसील मऊगंज जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.09.2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग कर अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला तहसील	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोक्ता के अधिकार के लिए भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1. रीवा	मऊगंज	झलवार–360 12 झलवार	152	0.008
2.			153/2	0.020
3.			155	0.020
4.			235/1	0.036
5.			235/3	0.012
6.			234/1	0.024
7.			243/2	0.020
8.			245	0.030
9.			246	0.004
10.			247	0.030
11.			248	0.006
12.			330	0.030
13.			331	0.004

14.			332	0.016
15.			334/1	0.007
16.			336/1	0.014
17.			548	0.030
18.			1070	0.020
19.			545/1	0.006
20.			534/1	0.048
21.			532	0.040
22.			528	0.006
23.			527/2/1	0.025
24.			527/2/2	0.025
25.			526	0.008
26.			525	0.016
27.			504/2	0.026
28.			503/2	0.010
29.			505	0.010
30.			506/1/2	0.022
31.			507/1	0.004
32.			507/2	0.018
33.			509/1/2	0.026
34.			629	0.008
35.			628	0.008
36.			626	0.008
37.			625	0.012
38.			623	0.016
39.			631	0.032
40.			635	0.038
41.			634	0.007
42.			636/1	0.036
43.			492	0.028
44.			489	0.064
45.			490	0.042

क्र. 43-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्ररूप–घ
(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपायोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1938 भू–अर्जन कार्य/2018/25–07–18 दिनांक 21.09.2018 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से रीवा ग्राम अटारी–574 तहसील मनगवा जिला रीवा से ग्राम मलैगवा तहसील मऊगंज जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.09.2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग कर अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला तहसील	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोक्ता के अधिकार के लिए भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1. रीवा	मऊगंज	पनिगवाँ–587 13 डिगवार	70/1	0.050
2.			70/3	0.075
3.			82	0.020
4.			83/1	0.015
5.			83/2	0.082

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविन्द कुमार झा, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील बरेली, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

पत्र क्र. 1899-भू-अर्जन-2019 रायसेन, दिनांक 27 जुलाई 2019

प्रकरण क्रमांक 33/2017-18/भू-अर्जन/उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है।अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर)में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा।

ग्राम का नाम – तिखावन तहसील– उदयपुरा

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	तिखावन	सुन्दरलाल व लक्ष्मीप्रसाद आ. घनश्याम सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	43/2/3/1	0.094	0.006	कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की तिखावन माइनर 02 नहर हेतु
2		कैलाशनारायण आ. लक्ष्मीनारायण , राधाबाई, रामबाई आ. लक्ष्मीनारायण जाति ब्रा. निवासी ग्राम भू स्वामी	200/2	1.967	0.072		

क्र. 1990-भू-अर्जन-2019

प्रकरण क्रमांक 34/अ-82/2017-18 /भू-अर्जन/उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर)में आधार संहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा।

ग्राम का नाम – शहपुरा **तहसील– उदयपुरा**

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा न.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शहपुरा	सुभद्रा वाई पत्नि विजय सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी	70/2	0.664	0.056	कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की शहपुरा माईनर नहर हेतु

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय उपाध्याय, अनुविभागीय/भू-अर्जन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 951-भू-अर्जन-19-प्र.क्र. 01-अ-82-2018-19 इन्दौर, दिनांक 29 जुलाई 2019

[अंतर्गत धारा – 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्रं. 30 सन् 2013)]

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ इंदौर–देवास–उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट योजना से प्रभावित निजी भूमि ग्राम–**कैलोदहाला**, तहसील–**इंदौर** में कुल **0.594 हे.** भूमि अपेक्षित है, अर्थात् इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू–खंड है, जो **0.594 हे.** है, जो ग्राम **कैलोदहाला**, तहसील **इंदौर** में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :–

क्रं. सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.मे.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
						उ	द	पू	प
1.	285/1/3 पैकी	निजी भूमि	सिंचित	0.121	संतोष, ईश्वर, जगदीश पिता रामचन्द्र, निवासी ग्राम निरंजनपुर, इंदौर				
2.	281/2/4	निजी भूमि	सिंचित	0.292	संतोष, ईश्वर, जगदीश पिता रामचन्द्र, केसरबाई बेवा रामचंद्र निवासी ग्राम निरंजनपुर, इंदौर				
3.	280/1/2	निजी भूमि	असिंचित	0.181	प्रेमलता पति चन्द्रकांत, कपिल, अतुल पिता चन्द्रकांत जोशी, निवासी सा. देह				

वृक्ष	
किस्म	संख्या
निरंक	निरंक

संरचना	
प्रकार	कुर्सी एरिया
–	–

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में या यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या – है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :–

ग्राम **कैलोदहाला**, तहसील **इंदौर**, जिला **इंदौर** क्षेत्र **0.594** (हेक्टेयर में)।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने है, खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं

जिला भूमि अर्जन अधिकारी इंदौर एवं भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी इंदौर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

क्र. 954-भू-अर्जन-19-प्र.क्र. 01-अ-82-2018-19

[अंतर्गत धारा – 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्रं. 30 सन् 2013)]

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ इंदौर–देवास–उज्जेन दोहरीकरण प्रोजेक्ट योजना से प्रभावित निजी भूमि ग्राम–**भानगढ़**, तहसील–**इंदौर** में कुल **0.219 हे.** भूमि अपेक्षित है, अर्थात् इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू–खंड है, जो **0.219 हे.** है, जो ग्राम **भानगढ़**, तहसील **इंदौर** में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :–

क्रं. सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.मे.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
						उ	द	पू	प
1.	19/3/1	निजी भूमि	असिंचित	0.078	विशाल चौकसे पिता फूलसिंह चौकसे, राजेन्द्र, मुकेश, दीपक पिता हीरालाल व श्रीमती लक्ष्मीबाई पति हीरालाल जाति कुम्हार, सुनीलसिंह पिता नंदलालसिंह पंवार, श्रीमती प्रियंका पति रामबाबू परिहार				
2.	20/1/3	निजी भूमि	असिंचित	0.036	ओमप्रकाश, जितेन्द्र पिता श्री राम, द्रोपती बाई बेवा श्री राम गंगाबाई बेवा नारायण, गोरधन, दिनेश पिता नारायण, निवासी ग्राम निरंजनपुर, इंदौर				
3.	20/1/1	निजी भूमि	असिंचित	0.101	ओमप्रकाश, जितेन्द्र, कांताबाई, चंद्रकांताबाई, सुमनबाई, ललिता एवं संगीता पिता श्री राम, गंगाबाई बेवा नारायण, गोरधन, दिनेश पिता नारायण, निवासी ग्राम निरंजनपुर, इंदौर				

क्रं. सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.मे.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
						उ	द	पू	प
4.	20/2/1	निजी भूमि	असिंचित	0.004	गोवर्धन पिता स्व. शालीगाम, सूरजबाई, गीताबाई पिता भागीरथ, जाति खाती				

वृक्ष	
किस्म	संख्या
निरंक	निरंक

संरचना	
प्रकार	कुर्सी एरिया
–	–

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में या यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या – है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :–

ग्राम **भानगढ़**, तहसील **इंदौर**, जिला **इंदौर** क्षेत्र **0.219** (हेक्टेयर में)।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने है, खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं

जिला भूमि अर्जन अधिकारी इंदौर एवं भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी इंदौर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

क्र. 957-भू-अर्जन-19-प्र.क्र. 01-अ-82-2018-19

[अंतर्गत धारा – 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्रं. 30 सन् 2013)]

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ इंदौर–देवास–उज्जेन दोहरीकरण प्रोजेक्ट योजना से प्रभावित निजी भूमि ग्राम–**शक्करखेड़ी**, तहसील–**इंदौर** में कुल **0.261 हे.** भूमि अपेक्षित है, अर्थात् इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू–खंड है, जो **0.261 हे.** है, जो ग्राम **शक्करखेड़ी**, तहसील **इंदौर** में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :–

क्रं. सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.मे.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
						उ	द	पू	प
1.	126/1/4	निजी भूमि	सिंचित	0.074	हाकम बाई बेवा मन्नूसिंह, नरेन्द्र सिंह पिता मन्नूसिंह, प्रेम सिंह, रूप सिंह, अंतरसिंह, पोपसिंह, चंदगीराम पिता कालूसिंह अ0पा0कर्ता माता सीताबाई पति कालूसिंह पता भांग्या रोड, सांवेर				
2.	127/1	निजी भूमि	सिंचित	0.112	जीवितेश पिता मुरलीधर, मुरलीधर पिता बद्रीलाल				
3.	142/1	निजी भूमि	सिंचित	0.068	जीवितेश पिता मुरलीधर, मुरलीधर पिता बद्रीलाल				
4.	137/1	निजी भूमि	सिंचित	0.007	जीवितेश पिता मुरलीधर, मुरलीधर पिता बद्रीलाल				

वृक्ष	
किस्म	संख्या
निरंक	निरंक

संरचना	
प्रकार	कुर्सी एरिया
–	–

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में या यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या – है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :–

ग्राम **शक्करखेड़ी**, तहसील **इंदौर**, जिला **इंदौर** क्षेत्र **0.261** (हेक्टेयर में)।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने है, खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं

जिला भूमि अर्जन अधिकारी इंदौर एवं भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी इंदौर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 7629-अ- 2019-2020 धार, दिनांक 2 अगस्त 2019

(अन्तर्गत धारा -11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्रं. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम खोजाकुँआ तहसील गंधवानी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि/शासकीय भूमि में स्थित मकानों का नामवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रकरण में मकान प्रभावित होने से धारा-4 (1) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का प्रकाशन पृथक से किया जावेगा।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि में स्थित मकानों का अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम- खोजाकुँआ तहसील- गंधवानी जिला धार

क्रं.	विवरण	डूब से प्रभावित होने वाली भूमि में स्थित मकानों का कुल रकबा (वर्ग मीटर में)		
		निजी	मकानों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से	निजी	78	8902.241
		शासकीय	2	133.5
		योगः-	80	9035.741 (वर्ग मीटर में)

अनुसूची (2)

बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ग्राम खोजाकुँआ तहसील गंधवानी जिला धार की प्रभावित मकानों का विवरण

स. क्रं.	भूमि धारक का नाम	भूमि धारकों में से मकान प्रभावित व्यक्ति का नाम	प्रभावित सर्वे क. जिसमें मकान स्थित है	मकान का प्रकार	मकान का निर्मित क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	भूमि धारक से मकानधारी का संबंध
1	2	3	4	5	6	7
1	मेहताब पिता मांगीलाल, झुमाबाई पति स्व. मांगीलाल भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	मेहताब पिता मांगीलाल	274/3	कच्चा मकान चद्दर	40.26	निजी भूमि
				छत तारपोलीन	27.45	
				कच्चा पशु घर कवेलु	41.31	
2	गमरसिंह पिता भावसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	गमरसिंह पिता भावसिंह	274/2	कच्चा मकान कवेलु	79.8	निजी भूमि
				पक्का मकान आर. सी.सी.	17.5	

3	कुंवरसिंह पिता भावसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	कुवरसिंह पिता भावसिंह	274/1	कच्चा मकान कवेलु	144.48	निजी भूमि
				छत तारपोलीन	28.5	
4	भेरू पिता चन्दर, विकम पिता भेरू	भेरू पिता चन्दर, विकम पिता भेरू	287/2/5	कच्चा मकान चद्दर	21.28	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	37.4	
				कच्चा मकान कवेलु	39.2	
5	खुमसिंह, छीतरीबाई पिता गुलाब जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	हिरू पिता चन्दरसिंह	287/2	छत तारपोलीन	24.18	भू धारक की सहमति से
				कच्चा मकान कवेलु	46.5	
				कच्चा पशु घर कवेलु	39.68	
				छत तारपोलीन	48.6	
6	बोन्दरसिंह, उगरसिंह, बालमड़ीबा, मतरीबाई, हतरीबाई पिता नानका जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	अमरसिंह पिता भावसिंह	281	कच्चा मकान चद्दर	18.72	भू धारक की सहमति से
				कच्चा मकान कवेलु	70.68	
				कच्चा मकान चद्दर	24.64	
				चद्दर	34.3	
				छत तारपोलीन	21.7	
7	दिलीप, प्रकाश, रेड़ीबाई, रंगलीबाइ पिता गल्या, गणस्या, खुमसिंह, कालीबाई, भंगड़ीबाई, झीतरीबाई पिता गुलाब, नुराबाई पति स्व. गुलाब, सुन्दरिया, गणपत, लोकुबाई, महकुबाई, रामकुबाई पिता अनसिंह, मडिया, मालसिंह, गौराबाई पिता धुमसिंह, बोदरा, उगरिया, बालू, मडीबाई, हतरीबाई पिता नानका, भारसिंह व गेंदाबाई पिता नानडिया, ठुमनिया, हिरला, गणपत, मलसिंह, नानबाई पिता पिडू जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	बोंदरा पिता नानका	284/1	कच्चा मकान कवेलु	39.1	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	24.51	
				छत तारपोलीन	80.84	
				छत तारपोलीन	27.73	
8		बाला पिता नानका	284/1	कच्चा मकान कवेलु	80.75	निजी भूमि
				छत तारपोलीन	30.96	
				छत तारपोलीन	68.8	
9		उगरसिंह पिता नानका	284/1	कच्चा मकान चद्दर	16.65	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	84.55	
				छत तारपोलीन	80.08	
10		रतन पिता उगरिया	284/1	कच्चा मकान कवेलु	29.05	निजी भूमि
				छत तारपोलीन	23.97	
11		गंगलिया पिता बाला	284/1	छत तारपोलीन	87.31	निजी भूमि
12		गणपत पिता अनसिंह	284/1	छत तारपोलीन	27.2	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	50.32	
				छत तारपोलीन	21	
13		रामसिंह पिता गणपत	284/1	छत तारपोलीन	65.25	निजी भूमि

14	हिरा पिता चन्दरिया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	शंकर पिता सुन्दरीया	268/1	कच्चा मकान सी. सी.	22.4	भू धारक की सहमति से
				छत तारपोलीन	10.5	
				छत तारपोलीन	15.98	
15	हिरा पिता चन्दरिया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	सुन्दरीया पिता अनसिंह	268/1	कच्चा मकान आर. सी.सी.	9.9	भू धारक की सहमति से
				कच्चा मकान कवेलु	78.28	
				छत तारपोलीन	7.8	
				छत तारपोलीन	6.6	
				छत तारपोलीन	42.35	
16	मडिया मलसिंह गोराबाई केसरबाई सरमीबाई पिता धुमंसिंह, सेकड़ीबाई पति स्व. धुमसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम खोजाकुआ	मडिया पिता धुमसिंह	288/1/6/3	कच्चा मकान कवेलु	94.6	निजी भूमि
17	बोन्दरसिंह, उगरसिंह, बालमड़ीबा, मतरीबाई, हतरीबाई पिता नानका जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	रूखडिया पिता बोंदरा	288/1/4	कच्चा मकान कवेलु	45.58	भू धारक की सहमति से
				छत तारपोलीन	17.49	
				छत तारपोलीन	77.9	
18	दिलीप, प्रकाश, रेड़ीबाई, रंगलीबाइ पिता गल्या, गणस्या, खुमसिंह, कालीबाई, भंगड़ीबाई, झीतरीबाई पिता गुलाब, नुराबाई पति स्व. गुलाब, सुन्दरिया, गणपत, लोकुबाई, महकुबाई, रामकुबाई पिता अनसिंह, मडिया, मालसिंह, गौसबाई पिता धुमसिंह, बोदरा, उगरिया, बालू, मडीबाई, हतरीबाई पिता नानका, भारसिंह व गेंदाबाई पिता नानड़िया, तुमनिया, हिरला, गणपत, मलसिंह, नानबाई पिता पिडू जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	छीताबाई पति गलिया	288/1/7	कच्चा मकान कवेलु	80	निजी भूमि
19	खुमसिंह, छीतरीबाई पिता गुलाब जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	खुमसिंह पिता गुलाब	288/1/1/2	कच्चा मकान कवेलु	174	निजी भूमि
20	कैलाश , रूपसिंह , रावजी पिता रणजीत जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	कैलाश पिता रंजीत	286/1	कच्चा मकान चद्दर	27.3	निजी भूमि
				छत तारपोलीन	18.9	
21	जुवानसिंह पिता थानसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	जुवानसिंह पिता थानसिंह	290/2/3	पक्का मकान अंग्रेजी कवेलू	255.99	निजी भूमि
22	रायसिंह पिता थानसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	रामसिंह पिता थानसिहं	290/2/2	छत तारपोलीन	24.84	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	90.1	
				पक्का मकान कवेलू	23.32	

23	जुवानसिंह पिता थानसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	थानसिंह पिता लेफरिया	290/2/3	कच्चा मकान कवेलु	28.16	भू धारक की सहमति से
				कच्चा मकान कवेलु	58.96	
24	रूखडिया पिता थानसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	रूखडिया पिता थानसिंह	290/2/1	पक्का मकान कवेलू	68.801	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	49.5	
25	जुवानसिंह पिता थानसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	जुवानसिंह पिता थानसिंह	290/2/3	पक्का मकान आर. सी.सी.	176.86	निजी भूमि
				चद्दर	3.24	
				पक्का मकान अंग्रेजी कवेलू	93.72	
				पक्का मकान अंग्रेजी कवेलू	172.8	
26	नवलसिंह पिता नानसिंह जाति मिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	मोहन पिता रूपसिंह	290/1/1	कच्चा मकान कवेलु	24	भू धारक की सहमति से
27	नवलसिंह पिता नानसिंह जाति मिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	रूपसिंह पिता नवलसिंह	290/1/1	कच्चा मकान कवेलु	48	भू धारक की सहमति से
28	नवलसिंह पिता नानसिंह जाति मिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	नवलसिंह पिता नानसिंह	290/1/1	कच्चा मकान चद्दर	26.25	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	110	
				कच्चा मकान कवेलु	33.75	
				छत तारपोलीन	74	
				छत तारपोलीन	60	
29	जैराम पिता फूलसिंह जाति मिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	दिनेश पिता जयराम	290/3/1	कच्चा मकान कवेलु	35	भू धारक की सहमति से
30	सोहन, मोहन, चौहान, रेखा पिता अमरसिंह जाति मिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	फुलसिंह पिता तेरसिंह	290/3/2	कच्चा मकान कवेलु	88	भू धारक की सहमति से
				कच्चा मकान कवेलु	37.5	
31	सोहन, मोहन, चौहान, रेखा पिता अमरसिंह जाति मिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	मोहन पिता अमरसिंह	290/3/2	कच्चा मकान चद्दर	37.8	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	48	
				छत तारपोलीन	30	
32	सोहन, मोहन, चौहान, रेखा पिता अमरसिंह जाति मिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	चोहन पिता अमरसिंह	290/3/2	कच्चा मकान कवेलु	42.5	निजी भूमि
33	सोहन, मोहन, चौहान, रेखा पिता अमरसिंह जाति मिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	सोहन पिता अमरसिंह	290/3/2	कच्चा मकान चद्दर	17.5	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	40	
34	अमरसिंह पिता भावसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	सरदार पिता लालसिंह	288/1/3	छत तारपोलीन	35	भू धारक की सहमति से

35	अमरसिंह पिता भावसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	लालसिंह पिता नानसिंह	288/1/3	कच्चा मकान कवेलु	57.5	भू धारक की सहमति से
				कच्चा मकान कवेलु	45	
				आंगन	22.5	
36	प्रेमसिंह, करणसिंह, गंगाबाई पिता लक्ष्मण, सुखमाबाई पति स्व. लक्ष्मण जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुँआ	सुकमाबाई पति स्व. लक्ष्मण	290/1/3	कच्चा मकान कवेलु	40.6	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	47.25	
37	प्रेमसिंह, करणसिंह, गंगाबाई पिता लक्ष्मण, सुखमाबाई पति स्व. लक्ष्मण जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुँआ	प्रेमसिंह पिता स्व. लक्ष्मण	290/1/3	आंगन	40	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	62.4	
38	शासकिय	सरदार पिता हिरा	79/3	छत तारपोलीन	95	शासकिय
39	रायसिंह पिता थानसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	दिनेश पिता रामसिंह	290/2/2	छत तारपोलीन	80	भू धारक की सहमति से
40	सोहन, मोहन, चौहान, रेखा पिता अमरसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	सोहन पिता अमरसिंह	290/3/2	पक्का मकान आर.सी.सी.	52	निजी भूमि
				पक्का मकान आर.सी.सी.	5.3	
				आंगन	12	
				छत तारपोलीन	28	
41	रूखडिया पिता थानसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	सुबान पिता रूखडिया	290/2/1	छत तारपोलीन	40	भू धारक की सहमति से
42	शासकिय	धरम पिता रिछू	79/3	कच्चा मकान चद्दर	17.15	शासकिय
				छत तारपोलीन	21.35	
43	टंटियां , वेस्तीबाई पिता आका जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	गला पिता टंटिया	20	कच्चा मकान चद्दर	22.78	भू धारक की सहमति से
				कच्चा मकान कवेलु	38.19	
				आंगन	14.26	
				छत तारपोलीन	33.6	
44	टंटिया , वेस्तीबाई पिता आका जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	छगन पिता टंटिया	20	कच्चा मकान चद्दर	36	भू धारक की सहमति से
				कच्चा मकान कवेलु	27	
45	टंटिया , वेस्तीबाई पिता आका जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	अजनसिंह पिता टंटिया	20	कच्चा मकान कवेलु	30	भू धारक की सहमति से

46	टंटिया , वेस्तीबाई पिता आका जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	अजनसिंह पिता टंटिया	20	कच्चा मकान कवेलु	82.8	भू धारक की सहमति से
47	टंटिया , वेस्तीबाई पिता आका जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	टंटिया पिता आकू	20	छत तारपोलीन	49	निजी भूमि
48	चम्पू पिता कालू, झगड़ीबाई पति स्व. कालू, लक्ष्मण, रामसिंह, राहुल पिता अन्तरसिह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	राजु पिता भूरसिंह.	12/5/1.	कच्चा मकान चद्दर	29	भू धारक की सहमति से
				कच्चा मकान कवेलु	18.56	
				छत तारपोलीन	12	
49	चम्पू पिता कालू, झगड़ीबाई पति स्व. कालू, लक्ष्मण, रामसिंह, राहुल पिता अन्तरसिह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	पदम पिता मिठु	12/5/1.	कच्चा मकान चद्दर	30.5	भू धारक की सहमति से
				कच्चा मकान कवेलु	86.1	
				कच्चा मकान कवेलु	10.37	
50	लक्ष्मण, रामसिंह, राहुल, ना.बा. पा.कर्ता कासु पिता अन्तरसिंह भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	लक्ष्मण पिता अतरसिंह	12/5/3.	पक्का मकान चद्दर	59.2	निजी भूमि
				छत तारपोलीन	9	
51	चम्पू पिता कालू, झगड़ीबाई पति स्व. कालू, लक्ष्मण, रामसिंह, राहुल पिता अन्तरसिह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	चम्पु पिता कासलिया.	12/5/1.	कच्चा पशु घर कवेलु	31.2	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	91.14	
				कच्चा पशु घर कवेलु	17.55	
52	निहालसिंह पिता मीठु जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	निहालसिंह पिता मिठू	12/3.	छत तारपोलीन	10.88	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	95.7	
53	चम्पू पिता कालू, झगड़ीबाई पति स्व. कालू, लक्ष्मण, रामसिंह, राहुल पिता अन्तरसिह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	कासलिया पिता मिठू	12/5/1.	कच्चा मकान कवेलु	13.2	भू धारक की सहमति से
54	रामसिंह पिता फत्तु जाति भीलाल निवासी ग्राम खोजाकुआ	रामसिंह पिता फत्तू	12/4.	कच्चा मकान कवेलु	75.6	निजी भूमि
55	रामसिंह, कुंवरबाई पिता थावरीया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	रामसिंह पिता थावरिया	24	कच्चा मकान चद्दर	38.5	निजी भूमि
				पक्का मकान कवेलू	90.2	
				छत तारपोलीन	32.2	
56	नराण, बोंदरी पिता थावरीया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	नराण पिता थावरिया	21/2/3.	छत तारपोलीन	33.2	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	111.6	
57	दलसिंह, सुन्दरी पिता थावरीया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	दलसिहं पिता थावरिया	21/2/4.	छत तारपोलीन	47.15	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	70.55	

58	दलसिंह, सुन्दरी पिता थावरीया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	कैलाश पिता दलसिंह	21/2/4.	छत तारपोलीन	99.75	भू धारक की सहमति से
59	जामसिंह पिता थावरीया , सनीबाई पति स्व. थावरीया, बीराबाई पिता वेस्ता जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	जामसिंह पिता थावरिया	21/2/2.	छत तारपोलीन	72	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	88	
				आंगन	77	
60	बदा पिता वेस्ता जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	रूपसिंह पिता बदा	21/1.	छत तारपोलीन	11.2	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	90.3	
				कच्चा मकान चद्दर	38.69	
				आंगन	30.02	
61	बदा पिता वेस्ता जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	नाथु पिता बदा	21/1.	छत तारपोलीन	12.95	भू धारक की सहमति से
				कच्चा मकान कवेलु	85.5	
				कच्चा मकान कवेलु	6	
				कच्चा मकान चद्दर	33.3	
				कच्चा मकान चद्दर	36	
				आंगन	16.2	
62	बदा पिता वेस्ता जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	नाहला पिता बदा	21/1.	कच्चा मकान चद्दर	23	भू धारक की सहमति से
				कच्चा मकान कवेलु	46.8	
63	बदा पिता वेस्ता जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	मोहन पिता बदा	21/1.	छत तारपोलीन	24	भू धारक की सहमति से
				कच्चा मकान कवेलु	46.8	
				कच्चा मकान चद्दर	44.1	
64	बदा पिता वेस्ता जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	नाहला पिता बदा	21/1.	छत तारपोलीन	98.1	भू धारक की सहमति से
65	हरेसिंह पिता दल्ला उर्फ दलसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	पर्वत पिता तेरसिंह	12/2/2.	कच्चा मकान तारपोलीन	47.6	भू धारक की सहमति से
66	तेरसिंह पिता दल्ला जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	धनसिंह पिता तेरसिंह	12/2/1.	कच्चा मकान तारपोलीन	47.6	भू धारक की सहमति से
67	तेरसिंह पिता दल्ला जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुओ	तेरसिंह पिता दला	12/2/1.	छत तारपोलीन	95.2	निजी भूमि
				कच्चा मकान चद्दर	47.6	
				पक्का मकान कवेलू	22.4	
				छत तारपोलीन	64.05	

68	तेरसिंह पिता दल्ला जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	हरसिंह पिता दलसिंह	12/2/1.	चद्दर	48.6	भू धारक की सहमति से
				पक्का मकान कवेलू	117	
69	रेमु पिता भुवान जाति भीलाला, निवासी ग्राम खोजाकुआ	गणपत पिता ज्वानसिंह	9/4.	पक्का मकान आर.सी.सी.	92	भू धारक की सहमति से
				कच्चा मकान चद्दर	49.6	
				कच्चा मकान कवेलु	24	
				कच्चा मकान कवेलु	24	
70	रेमु पिता भुवान जाति भीलाला, निवासी ग्राम खोजाकुआ	मंगता पिता रेमा	9/4.	छत तारपोलीन	9.2	भू धारक की सहमति से
				चद्दर	18.4	
				कच्चा मकान कवेलु	43.24	
71	रेमु पिता भुवान जाति भीलाला, निवासी ग्राम खोजाकुआ	भेरू पिता रेमा	9/4.	छत तारपोलीन	22.26	भू धारक की सहमति से
				कच्चा मकान कवेलु	39.48	
72	रेमु पिता भुवान जाति भीलाला, निवासी ग्राम खोजाकुआ	शेरू पिता रेमा	9/4.	छत तारपोलीन	22.26	भू धारक की सहमति से
				कच्चा मकान कवेलु	39.48	
73	बल्लु, रीछाबाई पुनाबाई पिता गजा जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	बल्लू पिता गजिया	9/6.	छत तारपोलीन	20.02	निजी भूमि
				कच्चा मकान चद्दर	28.49	
				कच्चा मकान कवेलु	21.56	
74	जामसिंह, बनदरिया, पातल्या दुमाबाई, गनाबाई पिता जैमा जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	जामसिंह पिता जेमा	9/7.	छत तारपोलीन	51.46	निजी भूमि
				कच्चा मकान चद्दर	52.08	
				पक्का मकान कवेलू	78.11	

75	जामसिंह, बनदरिया, पातल्या दुमाबाई, गनाबाई पिता जैमा जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	बोदर पिता जेमा	9/7.	पक्का मकान कवेलू	78.85	निजी भूमि
76	जामसिंह, बनदरिया, पातल्या दुमाबाई, गनाबाई पिता जैमा जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	पातल्या पिता जेमा	9/7.	कच्चा मकान कवेलु	77.28	निजी भूमि
				चद्दर	30.25	
77	भागीया पिता भुवान जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	मुत्रीया पिता केरीया	257/2/2	छत तारपोलीन	119	भू धारक की सहमति से
				चद्दर	18	
				कच्चा मकान कवेलु	154.7	
				छत तारपोलीन	33	
78	जामसिंह पिता गोटिया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	जामसिंह पिता गुतिया	26/2.	चद्दर	44.1	निजी भूमि
79	तेरसिंह पिता दल्ला जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	रामसिह पिता गजिया	36/2	चद्दर	28.08	भू धारक की सहमति से
				छत तारपोलीन	14.58	
80	कुंवरसिंह वेरसिंह कैलाश पिता सडीया भंगडीबाई पति स्व. सडीया भुरला रूमाल, काली पिता सेकडीया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	भंगडा पिता रुमाल	297	छत तारपोलीन	112	भू धारक की सहमति से
		योग:-			9035.741	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत बनोठ, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.